

## पारादीप पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती,वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम, 2011

महा पत्तन न्यास अधिनियम (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तिओं का प्रयोग करते हुए पारादीप पत्तन का न्यासी बोर्ड इसकेद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है ।

### लघु शीर्ष और प्रारंभ :-

- 1.(1) ये विनियम पारादीप पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती,वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम,2011 कहलाएगा।
- (2) यह महा पत्तन न्यास अधिनियम,1963 की धारा 124 और 132 के प्रावधानों के अधीन आवश्यक केन्द्र सरकार से अनुमोदन के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

### प्रासंगिकता:-

2. ये विनियम अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) के खंड (क) में आने वाले पदों के साथ साथ बोर्ड के अधीन अधिनियम की धारा 27 के अधीन सृजित सभी पदों पर लागु होंगे ।

### परिभाषा:-

3. इन विनियमों में, जहाँ तक अन्यथा संदर्भ की आवश्यकता न हो
  - (क) अधिनियम अर्थात महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38)
  - (ख) 'अनुरूप पद' अर्थात पद जिसका कर्तव्य और उत्तरदायित्व का स्तर तथा वेतन स्तर को उन पदों के साथ तुलना किया जाना है, जिस पर चयन किया जाएगा ।
  - (ग) किसी वर्ग अथवा पद से संबंधित नियोक्ता प्राधिकारी अर्थात पारादीप पत्तन न्यास कर्मचारी( वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) विनियम 1967 के अधीन उक्त वर्ग अथवा पद पर नियुक्ति देने के लिए अधिकार प्राप्त प्राधिकारी ।
  - (घ) ' बोर्ड ', ' अध्यक्ष ' , 'उपाध्यक्ष' और ' विभागाध्यक्ष ' का अलग अलग अर्थ है जैसाकि उन्हे अधिनियम के अधीन निर्धारित किया गया है ।
  - (च) प्रथम श्रेणी पदों, द्वितीय श्रेणी पदों, तृतीय श्रेणी पदों और चतुर्थ श्रेणी पदों

का समान अर्थ है जैसाकि उन्हे पारादीप पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) विनियम 1967 के विनियम- 4 में निर्धारित किया गया है ।

(छ) विभागीय पदोन्नति समिति का तात्पर्य है कि किसी वर्ग या पद पर पदोन्नति अथवा पुष्टि के लिए सिफारिश करने हेतु विनियम- 26 के अधीन समय समय पर बनाई गई समिति ।

(ज) ' सीधी भर्ती ' अर्थात सेवा चयन समिति द्वारा साक्षात्कार और/ अथवा प्रतियोगिता परीक्षा अथवा जांच के आधार पर भर्ती किए गए व्यक्ति ।

(झ) ' कर्मचारी ' अर्थात बोर्ड का एक कर्मचारी ।

(ञ) ' वर्ग ' अर्थात अधिनियम की धारा 23 के अधीन तैयार किए गए और मंजूर किए गए कर्मचारियों की अनुसूची में विशेष रूप से उल्लेख किए गए वर्गों ।

(ट) पुर्नग्रहणाधिकार का अर्थ है कि कोई कर्मचारी जो नियमित आधार पर पदासीन होते हुए अपने कब्जे के अधिकार को बनाए रखे, या तो तत्काल या समाप्ति की आवधि अथवा अनुपस्थिति की अवधि में, जिस पद पर वह नियमित आधार पर नियुक्त किया गया हो और जो परिवीक्षाधीन हो ।

वशर्तेकि नियमित पद पर कब्जे के अधिकार को इस शर्त पर बनाए रखा जाएगा यदि उस वर्ग में उपलब्ध पदों पात्र व्यक्तियों की संख्या से अधिक हो तो कनिष्ठतम व्यक्ति को निचले वर्ग में प्रत्यावर्तित किया जाएगा ।

(ठ) ' स्थायी कर्मचारी ' अर्थात स्थायी पद पर वास्तविक रूप से नियुक्त कर्मचारी ।

(ड) ' अनुसूची ' अर्थात इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची ।

(ढ) ' अनुसूचित जाति ' और अनुसूचित जनजाति ' का अलग अलग अर्थ है जैसाकि भारतीय संविधान की धारा- 366 के खंड (24) और (25) में निर्धारित किया गया है ।

(ण) किसी वर्ग अथवा पद से संबंधित ' चयन सूची ' का अर्थ विनियम- 13 के अनुसार उस पद अथवा वर्ग के लिए तैयार किए गए चयन सूची ।

(त) प्रावरण पद अर्थात इन विनियमों के विनियम- 5 के अधीन घोषित किए गए पद ।

(थ) ' सेवा चयन समिति ' अर्थात सीधी भर्ती के लिए आरक्षित पदों पर नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा, ट्रेड टेस्ट और/अथवा साक्षात्कार के

आधार पर अभ्यर्थियों के चयन हेतु विनियम 12 के अधीन बनाई गई समिति ।

- (द) 'अस्थायी कर्मचारी' अर्थात् अस्थायी पद पर नियुक्त अथवा स्थायी पद पर स्थानापन्न अथवा बोर्ड की सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त कर्मचारी 1

### नियुक्ति की रीति:-

4. पदों पर सभी नियुक्तियां, जिस पर ये विनियम लागू होते हैं, इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा । नियुक्ति पदोन्नति या आमेलन अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा सिधी भर्ती द्वारा किया जाएगा । पद के लिए निर्धारित मान दंड अथवा पात्रता को पूरा करनेवाले महा पत्तन, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, स्वायत्तशासी निकाय, सरकारी कंपनी के कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर लिया जाएगा । प्रतिनियुक्ति की सामान्य अवधि तीन वर्ष है जिसे चार वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है । विशेष परिस्थितियों में उसे पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है ।

### अनुसूची:-

5. नियुक्ति की रीति जैसे सिधी भर्ती द्वारा अथवा विभागीय पदोन्नति अथवा आमेलन अथवा प्रतिनियुक्त के मामले में विभिन्न पदों पर नियुक्ति से संबंधित अर्हताएं, आयु, शिक्षा, प्रशिक्षण, आवश्यक अनुभव, प्रवरण अथवा अप्रवरण पदों में वर्गीकरण तथा अन्य मामलों को प्रथम श्रेणी पदों के लिए इन विनियमों की अनुसूची में दर्शाया जाएगा 1 द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी पदों के मामले में नियुक्ति की रीति बोर्ड द्वारा समय- समय पर बनाई जाएगी 1 अनुसूची विभिन्न वर्गों में प्राधिकृत स्थायी तथा अस्थायी संख्या को दर्शाएगा जैसाकि महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 23 में प्रावधानों के अधीन तैयार किए गए कर्मचारियों की अनुसूची में दर्शाया गया है 1 महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 27 के प्रावधानों के अनुसार समय समय पर इस संख्या को बदला जा सकता है । सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आवश्यक पात्रता अनुसूची के कालम- 9 में उल्लिखित सीमा तक पदोन्नति के मामले में लागू होगी और पदोन्नति के लिए आवश्यक अनुभव अनुसूची में निर्धारित कालम-12 के अनुसार होगा 1

विभागाध्यक्षों के मामले में केन्द्र सरकार और अन्य मामलों में अध्यक्ष द्वारा निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जा सकती है और इन कारणों के लिए सीधी भर्ती/आमेलन/प्रतिनियुक्ति हेतु लिखित रिकार्ड रखा जाएगा जोकि निम्नबत है 1

- (क) 5 वर्ष तक जहाँ न्यूनतम अनुभव 10 वर्ष या उससे अधिक तक निर्धारित

और 3 वर्ष तक जहाँ न्यूनतम अनुभव 5- 9 वर्ष तक निर्धारित किया गया है ।

(ख) अभ्यार्थी, जोकि पूर्व सैनिक यानेकि भारतीय रक्षा बल का पूर्व- कर्मचारी है और रक्षा बल में कम से कम 6 महीने तक निरंतर सेवा किया हो, के मामले में पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित, रिक्त पद को भरने के लिए रक्षा बल में दी गई सेवा अवधि की सीमा तक के साथ 3 वर्ष जोड़ा जाएगा और युद्ध के समय मारे गए लोगों के आश्रितों और रक्षा बलों में उनके द्वारा एक निश्चित सीमा तक की गई सेवा के मामले में जहाँ रिक्ति को भरा जाएगा 1 वहाँ अनारक्षित रिक्ति मानी जाएगी ।

(ग) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यार्थियों के मामले में इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा समय समय पर आदेश जारी किए जाते हैं ।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों के मामले में केन्द्र सरकार अपने विवेक से कार्य अनुभव में भविष्य में छूट दे सकती हैं 1 यदि चयन की किसी स्तर पर उस समुदाय के अभ्यार्थियों जिनमें अपेक्षित योग्यता वाले अभ्यार्थी मिलने की संभावना न हो, जो पद उनके लिए आरक्षित हो, ऐसे मामले में केन्द्र सरकार अपने राय दे सकती है 1

#### **रिक्तियों का सूची:-**

6. प्रत्येक श्रेणी के लिए यह दर्शाते हुए कि उस रिक्ति को सिधी भर्ती या पदोन्नति के आधार पर भरा जाएगा से संबंधित सूची अनुरक्षित की जाएगी । अतः यदि कोई रिक्ति जोकि सिधी भर्ती के लिए आरक्षित है वो सिधी भर्ती द्वारा नहीं भरा जाएगा । इसे पदोन्नति द्वारा भरा जा सकता है । आगे की रिक्तियों को सिधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा । पदोन्नति के लिए आरक्षित रिक्तियों के मामले में भी वही तरीका अपनाया जाएगा लेकिन उसे पदोन्नति पद्धति द्वारा नहीं भरा जाएगा ।

#### **आरक्षण:-**

7. (1) इसके अंतर्गत आने वाले आरक्षित पदों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा समय समय पर आदेश जारी किए जाते हैं 1 इन विनियमों के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पक्ष में पदोन्नति या सिधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले सभी नियुक्तियों पर यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगा ।

(2) इसके अंतर्गत पदों के आरक्षण के मामलों में केन्द्र सरकार द्वारा समय समय पर आदेश जारी किए जाते हैं जो अन्य पिछड़े वर्गों, भूत पूर्व सैनिकों, सैनिक कार्रवाई में मारे गए सैनिकों की आश्रितों, खिलाड़ियों और अपंगों की नियुक्तियों पर भी यथा आवश्यक संशोधन के साथ लागू होगा जो इस विनियम

के अंतर्गत सिधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं 1

**सिधी भर्ती के लिए राष्ट्रीयता, चरित्र, शारिरीक स्वास्थ्य इत्यादि :-**

8. 1. किसी भी श्रेणी या पद पर सिधी भर्ती के लिए पात्रता क्रमशः होगी, अभ्यर्थी को निम्न कि अनुसार होना चाहिए 1

(क) भारत का नागरिक हो अथवा

(ख) नेपाल का नागरिक हो अथवा

(ग) भूटान का नागरिक हो अथवा

(घ) तिब्बत का शरणार्थी जो 1 जनवरी 1962 के पहले भारत में स्थायी रूप से बसने की इरादे से आया हो अथवा ।

(च) भारतीय मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, या आफ्रीकान देशों जैसे पूर्वी केन्या, उगांडा, यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तांजानिया, जाम्बिया मालावी, जायरे, इथिओपिया और विएत्नाम आदि देशों से विस्थापित होकर भारत में स्थायी रूप से बसने की इरादे से आया हो । बशर्तेकि श्रेणी ' क ' से संबंध अभ्यर्थी अपनी राष्ट्रीयता से संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करेगा जोकि समय समय पर अध्यक्ष द्वारा मांगे जाने पर आवश्यक होगा । जबकि आगे श्रेणी (ख),(ग),(घ) एवं (च) के मामले में अभ्यर्थियों के पक्ष में पात्रता का प्रमाणपत्र केन्द्र सरकार द्वारा जारी किया गया हो ।

औरभी यह है कि किसी भी अभ्यर्थी के मामले में राष्ट्रीयता का प्रमाण अथवा पात्रता का प्रमाण आवश्यक हो, को अस्थायी रूप से नियुक्त किया जा सकात है । केन्द्र सरकार द्वारा इसके पक्ष में जारी आवश्यक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब, जोभी मामला हो, ऐसे मामलों में अस्थायी नियुक्ति एक वर्ष से अधिक के लिए नहीं होगी ।

(2) केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन पर उप विनियम (1) की आवश्यकताओं को अध्यक्ष परिवर्तित या समाप्त कर सकता है जब विशेष प्रकार के काम के लिए नियुक्ति की जाएगी और उचित अभ्यर्थी प्राप्त करना व्यवहार्य न हो जो इन विनियमों की मांगों को पूरा करा हो ।

(3) **कोई भी व्यक्ति**

क) जोकि किसी के साथ पत्नी जीवित रहते हुए भी विवाह संबंध बनाता है अथवा

ख) जोकि पत्नी जीवित रहते हुए भी किसी दूसरे के साथ विवाह किया है तो इस विनियम पर लागू किसी भी वर्ग अथवा पद पर नियुक्ति के

लिए पात्र नहीं होगा ।

विभागाध्यक्षों के मामले में केन्द्र सरकार और अन्य मामलों में अध्यक्ष यदि संतुष्ट होते हैं कि उस व्यक्ति अथवा विवाह का अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत नियम के अधीन वह विवाह अनुमतियोग्य है और वैसे कार्य के लिए अन्य आधार भी हैं तो इस उप विनियम के परिचालन (प्रभाव) से उस व्यक्ति को छूट दे सकते हैं ।

(4) अभ्यर्थी नियोक्ता प्राधिकारी को संतुष्ट करेगा कि उसका चरित्र और पूर्ववृत्त उसे किसी वर्ग या पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त बनाता है । कोई अभ्यर्थी, जोकि नैतिक चरित्रहीनता से संबंधित अपराध के मामले में न्यायालय द्वारा दोषी पाया गया हो अथवा जिसे दिवालिया के रूप में मान लिया गया हो, को किसी वर्ग या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा ।

(5) मानसिक तथा शारिरिक रूप से स्वस्थ तथा किसी शारिरिक विसंगति से मुक्त अभ्यर्थी बोर्ड के कर्मचारी के रूप में कर्तव्य निर्वाह में दखल दे सकता है । विभागाध्यक्षों के लिए केन्द्र सरकार और अन्य मामलों में अध्यक्ष द्वारा निर्धारित वैसे चिकित्सा परीक्षा के बाद उपर्युक्त आवश्यकताओं को पूरा न करने वाले अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं दी जाएगी ।

(6) यदि अभ्यर्थी द्वारा विनियम के संपूर्ण अथवा किसी आवश्यकता को पूरा करने में या पूरा न करने में कोई प्रश्न उठता है तो विभागाध्यक्षों के मामले में केन्द्र सरकार तथा अन्य मामलों में अध्यक्ष द्वारा निर्णय लिया जाएगा ।

#### **सीधी भर्ती के लिए मौजूदा कर्मचारियों की मात्रता :-**

9. जब सीधी भर्ती पर पदों के भरे जाने हेतु विज्ञापन दिया जाता है तो सेवारत कर्मचारी भी आवेदन कर सकते हैं वशर्तकि उनके पास निर्धारित अर्हताएँ तथा अनुभव हों । इन मामलों में आयु सीमा लागू नहीं होगी ।

#### **रिक्तियों के लिए विज्ञापन :-**

10. (1) सीधी भर्ती पर भरे जाने वाले तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी पदों की रिक्तियों को स्थानीय रोजगार कार्यालय को अधिसूचित किया जाएगा । यदि पर्याप्त संख्या में पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं मिल पाते तो रिक्तियों को राज्य में प्रकाशित समाचारपत्रों में विज्ञापित किया जाएगा । सीधी भर्ती पर भरे जाने वाले प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी पदों के बारे में सूचना राष्ट्रीय तथा स्थानीय समाचारपत्रों और/अथवा रोजगार समाचारपत्र में प्रकाशित किया जाएगा ।

(2) पद के लिए अधिसूचित/विज्ञापन में अर्हता, अनुभव तथा आयु के निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि महीने का पहला दिन होगा अन्यथा जैसा निर्धारित हो ।

**विशेष मामलों में लिखित तथा कुशलता परीक्षा :-**

11. नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा लिखित अथवा कुशलता परीक्षा अथवा दोनों के आयोजन और परीक्षा लेनेवाले अधिकारी के चयन तथा परीक्षा लेने की रीति एवं उससे संबंधित अन्य व्यौरों पर निर्णय लिया जाएगा । यह नियोक्ता प्राधिकारी के अधिकारक्षेत्र है कि वह लिखित अथवा कुशलता परीक्षा कराने के लिए परामर्शदाता या परामर्शदायी संस्था को काम में लगाए ।

**सेवा चयन समिति:-**

12. (1) सिधी भर्ती द्वारा विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के चयन हेतु पात्र अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के आयोजन के लिए उप विनियम- (2) में उल्लिखित प्रत्येक वर्ग अथवा पद के लिए एक सेवा चयन समिति होगी ।

(2) पदों का वर्ग और सेवा चयन समितियों का गठन, जैसाकि उप विनियम- (1) में संदर्भित है, निम्नलिखित के अनुसार होगा ।

(क) **विभागाध्यक्षों के लिए :-**

पोत परिवहन मंत्रालय के संयुक्त सचिव (पत्तन)	-	अध्यक्ष
पत्तन का अध्यक्ष	-	सदस्य
किसी अन्य पत्तन का अध्यक्ष अथवा इस क्षेत्र में व्यापक अनुभव रखनेवाले अधिकारी जिसे पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा नामित किया जाएगा	-	सदस्य
पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा नामित अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधि	-	सदस्य

(ख) **प्रथम श्रेणी पद के लिए :-**

अ) अध्यक्ष	-	अध्यक्ष
आ) उपाध्यक्ष	-	सदस्य
इ) रिक्त से संबंधित विभाग के प्रभारी विभागाध्यक्ष	-	सदस्य
ई) कार्मिक विभाग के प्रभारी विभागाध्यक्ष	-	सदस्य
छ) अध्यक्ष द्वारा नामित अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधि	-	सदस्य

(ग) **द्वितीय श्रेणी पदों के लिए :-**

- |    |  |   |         |
|----|--|---|---------|
| अ) | उपाध्यक्ष  | - | अध्यक्ष |
| आ) | विभागाध्यक्ष जहाँ रिक्ति हुई है  | - | सदस्य   |
| इ) | कार्मिक विभाग के प्रभारी विभागाध्यक्ष                                  | - | सदस्य   |
| ई) | अध्यक्ष द्वारा नामित अनुसूचित जाति/जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधि | - | सदस्य   |

(घ) तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए (साधारण वर्ग) :-

- |    |  |   |         |
|----|--|---|---------|
| अ) | उपाध्यक्ष अथवा उनकी अनुपस्थिति में बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा नामित विभागाध्यक्ष                    | - | अध्यक्ष |
| आ) | कार्मिक विभाग के प्रभारी विभागाध्यक्ष  | - | सदस्य   |
| इ) | अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाने वाले वरिष्ठ अधिकारी जोकि वर्ग में 32,900- 58,000/- से कम नहीं है 1 | - | सदस्य   |
| ई) | अध्यक्ष द्वारा नामित अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधि                      | - | सदस्य   |

(च) तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए (असाधारण वर्ग) :-

- |    |   |   |         |
|----|---|---|---------|
| अ) | विभागाध्यक्ष, जहाँ रिक्ति हुई हो  | - | अध्यक्ष |
| आ) | कार्मिक विभाग के प्रभारी विभागाध्यक्ष   | - | सदस्य   |
| इ) | अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाने वाले संबंधित विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी जोकि वर्ग में 16000- 400- 20800 से कम नहीं है | - | सदस्य   |
| ई) | अध्यक्ष द्वारा नामित अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधि   | - | सदस्य   |

नियोक्ता प्राधिकारी बोर्ड की सेवा में न रहते किसी व्यक्ति को सेवा चयन समिति

में सदस्य के रूप में नामित कर सकता है यदि उस व्यक्ति संगत क्षेत्र का विशेषज्ञ हो । जहाँ सेवा चयन समिति का कोई सदस्य उपलब्ध न हो तो नियोक्ता प्राधिकारी उसके स्थान पर बैठक में भाग लेने हेतु उपयुक्त स्तर के अन्य अधिकारी को नामित कर सकता है ।

(3) जहाँ वर्गों में रिक्तियों पर नियुक्ति एक से अधिक विभाग में सामान्य है और सामान्य चयन द्वारा किया जा रहा है तो चयन समिति के गठन के बारे में प्रत्येक मामले में अध्यक्ष द्वारा निर्णय लिया जाएगा ।

### **13. चयन सूची:-**

सेवा चयन समिति, जैसाकि इसकेद्वारा निर्णित, गुणानुक्रम में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित पदों पर नियुक्ति हेतु विचार करने के लिए चयन सूची में रखे जाने वाले चयनित अभ्यर्थियों के नाम पर सिफारिश कर सकती है । यह सूची नियोक्ता प्राधिकारी के अनुमोदन की तिथि से 12 माह की अवधि तक बैध मानी जाएगी । नियोक्ता प्राधिकारी सूची की बैधता को छः माह तक की सीमा अथवा एक नई सूची अनुमोदित होने तक, जोभी पहले हो, बढ़ाने के लिए स्वतंत्र है ।

### **14. सेवा चयन समिति की सिफारिश और तदर्थ नियुक्ति पर विचार:-**

नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा संबंधित सेवा चयन समिति की सिफारिश पर सीधी भर्ती द्वारा सभी नियुक्तियों की जाएंगी ।

सेवा चयन समिति की सिफारिश को ग्रहण न करने में नियोक्ता प्राधिकारी स्वतंत्र होगा यदि कारणों को लिखित रूप से दर्ज किया गया हो ।

इसके आने जहाँ नियोक्ता प्राधिकारी अध्यक्ष का एक अधीनस्थ प्राधिकारी है और किसी मामले में उन सिफारिशों पर प्राधिकारी सहमत नहीं होता है तो सहमत न होने के कारणों को दर्ज करते हुए मामले को अध्यक्ष के समक्ष निर्णय के लिए प्रस्तुत करेगा ।

यह भी है कि केवल एक अस्थायी पद, अवकाश पर एक रिक्ति अथवा सीधी भर्ती के लिए निर्धारित रिक्ति, जिसे तत्काल भरा जाना हो, के मामले में अध्यक्ष एक व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं जोकि रिक्त पद को एक ही बार में छः माह के लिए और निम्नलिखित शर्तों पर तदर्थ के आधार पर एक वर्ष से कम अवधि तक भरने हेतु पात्र है ।

(1) तदर्थ नियुक्ति, जहाँ अपरिहार्य हो, भर्ती नियमों में दी गई अर्हताओं, अनुभव को वास्तव में पूरा करने पर ही किया जाएगा ।

(2) एक अस्थायी पद पर नियुक्ति की कुल अवधि पद की अवधि से अधिक नहीं होगी ।

(3) अन्य मामलों में अस्थायी नियुक्ति के स्थान पर यथा संभव शीघ्र चयन सूची से नियमित नियुक्ति की जाएगी ।

**15. पक्ष में समर्थन हासिल के लिए प्रयास - एक अयोग्यता:-**

किसी व्यक्ति द्वारा किसी पद पर नियुक्ति अथवा उच्च पद पर पदोन्नति के लिए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अपने पक्ष में समर्थन हासिल करने में किए गए प्रयास उसे उक्त नियुक्ति अथवा पदोन्नति के लिए अयोग्य बना देगा ।

**16. तथ्य को दबाना- एक अयोग्यता**

यदि किसी अभ्यार्थी को जानबूझकर किसी गलत विवरण प्रस्तुत करने अथवा चरित्र के बारे में महत्वपूर्ण सूचना को दबाते हुए पाया जाता है, जोकि ज्ञात होने पर उसे उस वर्ग या पद पर नियुक्ति से सामान्य रूप से रोका जा सकता है, तो उसे अयोग्य घोषित किया जाएगा और यदि नियुक्ति की गई है तो सेवा से निकाल दिया जाएगा ।

**17. नियुक्ति आदेश को निरस्त करना**

यदि सीधी भर्ती के लिए निर्धारित पद पर चयन किए गए अभ्यार्थी नियुक्ति आदेश में उल्लिखित तारीख के अंदर और जहाँ किसी वैसा तारीख का उल्लेख न किया गया हो, नियुक्ति आदेश जारी होने की तारीख से 30 दिन के अंदर अथवा नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा बढाई गई अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो नियुक्ति आदेश को निरस्त माना जाएगा ।

**18. साक्षात्कार में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ता का भुगतान:-**

सीधी भर्ती द्वारा भरे गए पदों के मामले में, लिखित और व्यावहारिक परीक्षा अथवा साक्षात्कार के लिए अभ्यार्थियों (बोर्ड के सेवा में रहे व्यक्तियों सहित) को किए जाने वाले यात्रा का खर्च बहन करना होगा । परन्तु लिखित अथवा ट्रेड टेस्ट अथवा साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अनुसूचित जाति अथवा जनजाति वर्ग के अभ्यार्थियों को वास्तविक प्रारंभिक यात्रा से संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करने पर दोनों ओर से सबसे छोटा व्यावहारिक मार्ग द्वारा यात्रा के प्रथम श्रेणी रेल भाडा के बराबर यात्रा भत्ता मंजूर किया जाएगा ।

**19. परिवीक्षा अवधि :-**

(1) 32,900- 58,000/-रु. और उससे अधिक वेतन मान से विभागाध्यक्ष और उप विभागाध्यक्ष और उप विभागाध्यक्ष के पदों पर नियुक्ति के सामसिक प्रक्रिया में आमेलन के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों को छोड़कर सीधी अथवा पदोन्नति अथवा आमेलन द्वारा नियुक्त हर व्यक्ति को उप विनियम (2) एवं (3) में प्रावधानों के अनुसार दो वर्ष तक परिवीक्षाधीन रहना होगा ।

परन्तु जहाँ नियुक्ति अपने आप में नियुक्ति आदेश में विनिर्दिष्ट आवधि के लिए ही है यदि नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा उस अवधि को नहीं बढ़ाया जाता तो उक्त आवधि की समाप्ति के पश्चात् उस नियुक्ति को समाप्त माना जाएगा ।

परन्तु जब सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त की गई और पद के साथ संलग्न वेतन मान में अधिकतम 11,975/- रु.(पूर्व संशोधित) से ज्यादा नहीं है तो परिवीक्षा का अवधि एक वर्ष होगी ।

परन्तु तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी वर्गों में पदोन्नति पर नियुक्ति के लिए परिवीक्षा अवधि नहीं होगी ।

आगे यह भी है कि यदि किसी वर्ग या पद पर परिवीक्षाधीन कर्मचारी को एक उच्च वर्ग या पद पर स्थानापन्न के रूप में नियुक्त किया जाता है तो निचले वर्ग या पद पर परिवीक्षा अवधि को उच्च वर्ग या पद पर नियुक्ति की अवधि के साथ गिना जाएगा । इसी तरह यदि कोई कर्मचारी किसी पद या वर्ग पर स्थानापन्न के रूप में पहले से नियुक्त किया गया है तो परिवीक्षा पर समान पद या वर्ग में नियुक्ति की अवधि को वह पद या वर्ग में परिवीक्षा अवधि को पूरा करने के लिए वैसे स्थानापन्न अवधि (तदर्थ सेवा को छोड़कर) को गिनने के लिए उपयुक्त होगा ।

(2) परिवीक्षा अवधि को, यदि नियोक्ता अधिकारी उपयुक्त समझे, एक ही समय पर निर्धारित अवधि तक बढ़ाया जा सकता है परन्तु बढ़ाई गई समय सीमा जहाँ किसी कर्मचारी के खिलाफ विभागीय अथवा कानूनी कार्यवाही लंबित रहने के कारण समय बढ़ाए जाने की आवश्यकता हो को छोड़कर, एक वर्ष से अधिक नहीं होगा ।

(3) परिवीक्षा आवधि में एक कर्मचारी को नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा समय समय पर उसके लिए निर्दिष्ट किए गए विभागीय प्रशिक्षण लेना और विभागीय परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना आवश्यक है ।

**20. परिवीक्षा काल में कर्मचारियों का स्थायीकरण :-**

**(1) सामान्य:-**

(क) सेवा में कर्मचारी की पुष्टि एक बार की जाएगी जोकि प्रवेश वर्ग में ही किया जाएगा ।

(ख) वर्ग में उपलब्ध स्थायी रिक्ती से स्थायीकरण का सम्बन्ध कट जाता है । दूसरे शब्दों में किसी अधिकारी द्वारा परिवीक्षा अवधि को सफलता से पूरा करने पर उसे स्थायीकरण के लिए विचार किया जाता है ।

**(2) प्रारंभिक स्तर पर नियुक्त वर्ग में स्थायीकरण :-**

(क) आज के अनुसार नियुक्त व्यक्ति को सफलता के साथ परिवीक्षा अवधि को पूरा करना चाहिए ।

(ख) मामले को विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष रखा जाएगा (स्थायीकरण के लिए )

(ग) सभी दिशाओं से सुनिश्चित किए जाने पर मामलों में एक विशेष स्थायीकरण आदेश जारी किया जाएगा ।

**(3) पदोन्नति पर :-**

(क) यदि भर्ती नियम में परिवीक्षा के बारे में कोई उल्लेख नहीं है तो नियमित आधार पर पदोन्नत अधिकारी (निर्धारित विभागीय पदोन्नति समिति आदि, प्रक्रिया के अनुपालन के बाद) उसी वर्ग में स्थायी किए गए व्यक्ति के समान लाभ प्राप्त करेगा ।

(ख) जहाँ परिवीक्षा के बारे में उल्लेख है, नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा परिवीक्षा की निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद अधिकारी के कार्य तथा आचरण का जायजा लिया जाएगा और यदि निष्कर्ष निकलता है कि अधिकारी उच्च वर्ग के लिए उपयुक्त है तो संबंधित व्यक्ति द्वारा सफलता के साथ परिवीक्षा की अवधि पूरा किया गया है घोषित कर आदेश जारी किया जाएगा । यदि अधिकारी का कार्य संतोषजनक नहीं है या उस पर कुछ अधिक समय तक ध्यान दिया जाना है तो वह उसे उस पद या वर्ग में वापस कर सकते हैं जहाँसे उसकी पदोन्नति हुई हो या परिवीक्षा की अवधि को बढ़ा सकते हैं, मामले जैसा भी हो ।

जैसाकि एक अधिकारी द्वारा सफलता के साथ परिवीक्षा की अवधि को पूरा किया गया है, के बारे में घोषित करने से पहले पदोन्नति पर पुष्टि की भावना नहीं है तो उसके निष्पादन की यथार्थ छानबीन की जानी चाहिए और यदि परिवीक्षा अवधि में अधिकारी का कार्य संतोषजनक नहीं है तो उसे पूर्व पद अथवा वर्ग, जहाँसे उसकी पदोन्नति हुई हो, में वापस लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए ।

**परिवीक्षाधीनों की पुष्टि :-** परिवीक्षा की सुनिश्चित शतों के साथ सीधी भर्ती द्वारा स्थायी पद के विरुद्ध नियुक्त व्यक्ति को परिवीक्षा आवधि को सफलता के साथ पूरा करने की तारीख से उसी वर्ग में पुष्टि की जाएगी । परिवीक्षा को बढ़ाए जाने अथवा पुष्टि के बारे में निर्णय परिवीक्षा की प्रारंभिक अवधि, यानेकि सामान्य: 6 से 8 सप्ताह की अवधि की समाप्ति के तुरंत बाद लिया जाना चाहिए और बढ़ाई गई अवधि के कारणों के साथ-साथ कर्मचारी को सूचित किया जाना चाहिए । यद्यपि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के बाद विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की जाती है तो परिवीक्षा की सुनिश्चित शतों के साथ एक स्थायी पद पर नियुक्त उस व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि को सफलता के साथ पूरा करने की तारीख से उसी वर्ग में पुष्टि की जाएगी 1 परिवीक्षाधीन कर्मचारी जिसकी प्रगति संतोषजनक नहीं है या जो सेवा के लिए अपने आप को अपर्याप्त दर्शाता है तो मूल परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के बहुत पहले उसे उसकी कमियों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए ताकि अपनी उन्नति के लिए वह अधिक प्रयास कर सके ।

परिवीक्षा के मामले में विभागीय पदोन्नति समिति को अधिकारियों का संगत क्रम निर्धारण नहीं करना चाहिए केवल सफलता के साथ परिवीक्षा अवधि को पूरा किया गया है, को घोषित करने के लिए निर्णय लिया जाना चाहिए । यदि किसी परिवीक्षाधीन कर्मचारी का निष्पादन संतोषजनक नहीं है तो विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा परिवीक्षा अवधि के बढ़ाए जाने अथवा सेवा से निकाले जाने के बारे में सलाह दी जा सकती है ।

#### **21. परिवीक्षा अवधि में कर्मचारियों का प्रत्यावर्तन अथवा सेवा मुक्त करना:-**

(1) यदि किसी कर्मचारी को उसकी पहली नियुक्ति में परिवीक्षा अवधि में आचरण अथवा निष्पादन के आधार पर विनियम- 19 में निर्धारित परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के बाद पुष्टि के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो उसे बोर्ड की सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा ।

(2) यदि कोई कर्मचारी परिवीक्षा अवधि में किसी पद पर पुनर्ग्रहणाधिकार रखा हो और नियोक्ता प्राधिकारी के विचार के लिए विनियम-19 में निर्धारित परिवीक्षा अवधि को पूरा नहीं करता है तो उसे पुनर्ग्रहणाधिकार रखने वाले पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा ।

(3) यदि कोई कर्मचारी किसी पद पर परिवीक्षा अवधि के दौरान निष्पादन या आचरण अथवा विभागीय परीक्षा में असफल होने के आधार पर, यदि निर्धारित हो, आगे उस पद पर प्रतिधारण हेतु अयोग्य पाया जाता है, यदि उसने किसी पद पर पुनर्ग्रहणाधिकार न रखा हो अथवा उसने जिस पद पर पुनर्ग्रहणाधिकार रखा है उस पर प्रत्यावर्तित कर दिया गया हो तो उसे किसी भी समय सेवा से निकाल दिया जाएगा ।

**22. विशेष मामलों में पदोन्नति तथा पुष्टि के लिए विभागीय परीक्षा :-**

अध्यक्ष द्वारा अर्हक विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, में उत्तीर्ण होने पर पदों पर पदोन्नति तथा पुष्टि के लिए समय समय पर व्यवस्था की जाएगी। अध्यक्ष द्वारा समय समय पर अर्हक विभागीय परीक्षा का संपूर्ण व्योरा जैसे परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया, परीक्षा का पाठ्यक्रम, परीक्षा के लिए अंतराल, अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा में उत्तीर्ण होने की अधिकतम अवधि आदि निर्धारित की जाएगी।

**23. विभागीय परीक्षा में असफलता के कारण प्रत्यावर्तन:-**

किसी पद पर पदोन्नत कर्मचारी को अध्यक्ष द्वारा समय समय पर निर्धारित अर्हक विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, में तथा निर्धारित अवधि में उत्तीर्ण करना होगा अन्यथा कर्मचारी को पूर्व पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा। जबकि किसी उच्च पद पर पदोन्नति के लिए परीक्षा में उत्तीर्ण होना निर्धारित शर्त के रूप में पूर्व उदाहरण रहा है तो निर्धारित परीक्षा में उत्तीर्ण होने तक किसी भी कर्मचारी को किसी पद पर पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

**24. वरीयता सूची :-**

प्रत्येक वर्ग में कर्मचारियों के परस्पर वरीयता उल्लेख करते हुए वर्गीकरण की एक अद्यतन सूची रखी जाएगी। उक्त सूची प्रत्येक वर्ग में स्थायी एवं अस्थायी कर्मचारियों को अलग से दर्शाएगा। प्रत्येक वर्ष उक्त सूची को परिचालित किया जाएगा।

**25. वरीयता निर्धारण :-**

(1) सीधी भर्ती द्वारा किसी वर्ग में नियुक्त और विभागीय पदोन्नति पर नियुक्त व्यक्तियों की वरीयता में सीधी भर्ती तथा पदोन्नती के बीच रिक्तियों के क्रमावर्तन के अनुसार परस्पर वरीयता को निर्धारित किया जाएगा जोकि सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के लिए आरक्षित वर्गों में अनुसूची में दिए गए निक्तियों के कोटा के आधार पर होगा। उन मामलों में जहाँ विनियम- 6 के अनुसार रिक्तियों को अदली-बदली का सहारा लिया गया है वहाँ वरीयता भर्ती की रीति के अनुसार होगा।

(2) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्तियों को परीक्षा या साक्षत्कार या दोनों में उनके निष्पादन के आधार पर बनाई गई चयन सूची में योग्यता के क्रम में परसपर वरीयता श्रेणी में रखा जाएगा और पूर्व चयन सूची में दी गई नियुक्तियों को बाद में बनाई गई चयन सूची से वरिष्ठ श्रेणी में रखा जाएगा।

(3) विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पदोन्नति के लिए अनुमोदित आदेश के अनुसार रिक्तियों के पदोन्नति कोटा के विरुद्ध नियुक्त व्यक्तियों को परस्पर वरीयता श्रेणी में रखा जाएगा।

(4) उपर्युक्त उप विनियम (1) से (3) में उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी, इन विनियमों के प्रारंभ से पहले निर्धारित वरियता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

**26. विभागीय पदोन्नति समिति :-**

(1) इन विनियमों के अनुसार पदोन्नति पर विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए कर्मचारियों की एक नामिक सिफारिश करने हेतु प्रत्येक वर्ग या पद के लिए एक विभागीय पदोन्नति समिति रहेगी।

(2) विभागीय पदोन्नति समिति का गठन विनियम- 12 में उल्लिखित सेवा चयन समिति जैसा होगा नामिक की विधिमान्यता विनियम- 13 में उल्लिखित जैसाही होगा।

**27. पदोन्नति के लिए चयन का क्षेत्र :-**

(1) जब किसी वर्ग में एक या अधिक पदों को फीडर वर्ग में पदासीन कर्मचारियों से चयन प्रक्रिया के जरिए पदोन्नति पर भरा जाना है तो निर्धारित भर्ती नियम के अनुसार पदोन्नति के लिए निर्धारित अर्हताएं एवं अनुभव के साथ पात्र पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए विचार किया जाएगा बशर्तेकि वे विचार के लिए उपर्युक्त हों।

(2) चयन पद्धति के जरिए पदोन्नति के लिए कर्मचारियों को सिफारिश करते समय निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

(क) विभागीय पदोन्नति समिति ( डी पी सी) निर्धारित बेंचमार्क के आधार पर पदोन्नति के लिए विचार किए जा रहे कर्मचारियों को उपयोगिता का निर्धारण करेगी और तदनुसार कर्मचारियों को " उपयुक्त " अथवा " अनुपयुक्त " वर्ग में रखेगी। विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा उपयुक्त घोषित किए गए व्यक्तियों को ही चयन सूची में शामिल किया जाएगा और प्रारंभिक वर्ग के परस्पर वरीयता के क्रम में रखने हेतु व्यवस्था की जाएगी। विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा अनुपयुक्त घोषित किए गए अधिकारियों को चयन सूची में शामिल नहीं किया जाएगा।

(ख) विभागीय पदोन्नति समिति विदेश सेवा या अध्ययनार्थ छुट्टी पर कार्यरत पात्र कर्मचारियों के मामलों पर भी विचार करेगी।

(ग) सरकारी कर्मचारियों से संबंधित विभागीय पदोन्नति समिति की कार्रवाई में पालन की जाने वाली प्रक्रिया पर सरकार द्वारा समय समय पर जारी अनुदेश में आवश्यक परिवर्तनों को लागू किया जाएगा।

**टिप्पणी :-** 16,000- 400- 20,800/- रु. और उससे अधिक वेतनमान के पद पर आमेलन के लिए और जिसके लिए भर्ती की संयुक्त प्रक्रिया को अपनाया गया है, संपूर्ण वर्गीकरण में बेंच मार्क " बहुत अच्छा " होगा अन्य मामलों में वेंच मार्क " अच्छा " होगा।

3. अचयनित पदों पर पदोन्नति के लिए, जहाँ बेंच मार्क निर्धारित नहीं है, चयन हेतु मानदण्ड वरीयता- व - उपयुक्तता होगा ।

**28. तदर्थ नियुक्तियां :-**

तत्काल आवश्यकता पर जब विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा सिफारिश की गई नामिका का व्यवहार किया जा चुका है, नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा प्रारंभिक वर्ग या पद पर कार्यरत वरिष्ठ पात्र एवं उपयुक्त कर्मचारी को नियुक्त कर किसी पद पर संपूर्ण रूप से तदर्थ नियुक्ति किया जा सकता है जोकि एकही समय पर छः माह की अवधि तक और एक वर्ष से कम अथवा विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा नई नामिका की सिफारिश किए जाने तक, जोभी पहले हो, तक होगा । जहाँ तदर्थ नियुक्ति अपरिहार्य है वहाँ भर्ती नियम में केवल निर्धारित अर्हताओं, अनुभव को पूरा करने पर ही किया जाना चाहिए ।

**29. अनुकंपा पर नियुक्तियाँ**

इन विनियमों में उल्लेख के बावजूद अध्यक्ष इन विनियमों में भर्ती की निर्धारित सामान्य प्रक्रिया में छुट दे सकते हैं और बोर्ड के कर्मचारी के बंध पुत्र या पुत्री या जीवित पति या पत्नी को तृतीय या चतुर्थ श्रेणी पद पर नियुक्ति दे सकते हैं वशर्तकि नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के पास निर्धारित अर्हताएँ एवं अनुभव हों और उसे उपयुक्त पाया गया हो ।

**30. व्याख्या:-**

इन विनियमों को लागू करने में केन्द्र सरकार के सभी अनुदेशों को समय समय पर संशोधित किया जाता है जोकि इन विनियमों के किसी भी प्रावधानों के विपरीत नहीं हैं और विशेष रूप से पूरा न किए गए मामलों पर केन्द्र सरकार द्वारा समय समय पर जारी सभी अनुदेशों का पालन किया जाएगा जहाँ किसी विनियमों की व्याख्या में संदेह पैदा होता है तो मामले को अध्यक्ष के समक्ष निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाएगा ।

**31. निवारण और बचाव :-**

सभी विनियमों, पद्धतियों, प्रक्रियाओं और परम्पराओं से संबंधित विनियमों जिन्हे इन विनियमों के प्रारंभ से पूर्व तत्काल लागू किया गया है, एतद्द्वारा निरस्त हो जाएगा ।

परन्तु निरस्त किए गए विनियमों, पद्धतियों, प्रक्रियाओं और परम्पराओं के अधीन की गई कार्रवाई अथवा बनाए गए किसी आदेश को इन विनियमों के समान प्रावधानों के अधीन बनाया गया है या कार्रवाई की गई है, ऐसा माना जाएगा ।

**प्रशासनिक विभाग,पारादीप पत्तन न्यास के अधीन प्रथम श्रेणी पदों के लिए भर्ती नियम**

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (रु.)	क्या यह पद चयनित या गैर चयनित है	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती संबंधी (क) आयु (ख)शैक्षणिक योग्यताएं (ग)अनुभव, पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगे ।	परिवीक्षा अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (यदि सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/ आमेलन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिससे भर्ती की जानी है ।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	उप निदेशक (अनुसंधान)	1	श्रेणी -I	20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.10750-300-16750/-)	चयनित	35	<p><b>अनिवार्य:-</b></p> <p>(i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अर्थशास्त्र या सांख्यिकी या गणित में डिग्री ।</p> <p>(ii)योजना अथवा डाटा कलेक्शन, कम्पाइलेशन तथा इंटरप्रिटेशन में अथवा फील्ड सर्वे जांच आदि करने में पांच वर्षों का कार्यकारी अनुभव ।</p> <p><b>वांछनीय :-</b></p> <p>(i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अर्थशास्त्र या सांख्यिकी या गणित या परिचालन अनुसंधान और चयन विषय में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री/डिप्लोमा</p> <p>(ii) कम्प्यूटर प्रचालन का ज्ञान</p>	(क) नहीं (ख)हाँ (ग) नहीं	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर आमेलन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	अपने ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवायुक्त रु.20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.9100-15100/) वेतनमान के सहायक निदेशक (ईडीपी)/सहायक सचिव ग्रे-I से पदोन्नति, ऐसा न होने पर वर्ग में 2 वर्ष की नियमित सेवा सहित रु. 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.9100-15100/-) के वेतनमान और पीआर मंडल के संबंधित अनुशासन में रु. 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.9100-15100/-) एवं रु.16400-40500/- के वेतनमान में 8 वर्ष की संयुक्त नियमित सेवा सहित सहायक निदेशक (ईडीपी)/सहायक सचिव ग्रे-I अन्य तत्तुल्य पदों से पदोन्नति ।	महा पत्तन न्यास के पीआर मंडल के अनुरूपी पदधारी अधिकारी या अपने ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा सहित रु. 20600-46500/-(पूर्व संशोधित वेतनमान रु.9100-15100/-) वेतनमानवाले सहायक निदेशक (ईडीपी)/सहायक सचिव ग्रे-I तथा अन्य समतुल्य पदधारियों से आमेलन/प्रतिनियुक्ति की जाएगी ।

क्र सं	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (रु.)	क्या यह पद चयनित या गैर चयनित है	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती संबंधी (क) आयु (ख) शैक्षणिक योग्यताएं (ग) अनुभव, पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगे।	परिवीक्षा अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (यदि सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिससे भर्ती की जानी है।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	सहायक सचिव ग्रेड -I	1	प्रथम श्रेणी -I	रु.20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.10750-300-16750/-)	चयनित	30	अनिवार्य:- मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री। <b>वांछनीय :-</b> (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अर्थशास्त्र या सांख्यिकी या गणित या परिचालन अनुसंधान और चयन विषय में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री/डिप्लोमा (ii) कंप्यूटर प्रचालन का ज्ञान	(क) नहीं (ख)हाँ (ग) नहीं	2 वर्ष	21 अगस्त 2012 तक सीधी भर्ती द्वारा- 33.1/3% 21 अगस्त 2012 के बाद सीधी भर्ती द्वारा- 66.2/3%	वेतनमान रु.16400-40500/- में सहायक सचिव ग्रेड-II और सभी अन्य श्रेणी - II पदों जैसे जन संपर्क अधिकारी, निजी सहायक, प्रबंधक, अतिथि गृह, सहायक संपर्क अधिकारी, कल्याण अधिकारी, प्रधानाध्यापक, सांख्यिकी एवं अनुसंधान अधिकारी, सहायक प्रबंधक(संपदा) एवं लेखा अधिकारी से पदोन्नति द्वारा जिन्होंने उस ग्रेड में 3 वर्ष की नियमित सेवा की हो। अथवा सामान्य प्रशासन विभाग की संबंधित विधा में जहाँ उस विधा में रु.16400-40500/- के वेतनमान में कोई श्रेणी- II पद नहीं है तब वेतनमान रु.13600-32400/-में श्रेणी- III कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा जिन्होंने उस ग्रेड में 5 वर्षों की नियमित सेवा की हो।	

क्र सं	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (रु.)	क्या यह पद चयनित या गैर चयनित है	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती संबंधी (क) आयु (ख) शैक्षणिक योग्यताएं (ग) अनुभव, पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगे।	परिवीक्षा अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (यदि सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिससे भर्ती की जानी है।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	वरिष्ठ सहायक सचिव	1	श्रेणी-I	रु.10750-300-16750/-	चयनित	35	अनिवार्य:- (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री। (ii) औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में सामान्य प्रशासन, कार्मिक, औद्योगिक संबंध आदि के क्षेत्र में कार्यकारी संवर्ग में 5 वर्षों का अनुभव। <b>वांछनीय</b> :- मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कार्मिक प्रबंधन/औद्योगिक संपर्क/सामाजिक	(क) नहीं (ख) हाँ  (ग) नहीं	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	वेतनमान रु.20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.9100-15100/-) में सहायक सचिव-1/अध्यक्ष के निजी सचिव/हिन्दी अधिकारी से पदोन्नति द्वारा जिन्होंने उस ग्रेड में 5 वर्षों की नियमित सेवा की हो, ऐसा न होने पर वेतनमान रु.20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.9100-15100/-) में सहायक सचिव ग्रेड-1/अध्यक्ष के निजी सचिव/हिन्दी अधिकारी से पदोन्नति द्वारा जिन्होंने उस ग्रेड में 2 वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा सामान्य प्रशासन विभाग की संबंधित विधा में वेतनमान रु.20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 9100-15100/-) तथा वेतनमान रु.16400-40500/- में संयुक्त रूप से 8 वर्षों की नियमित सेवा की हो। आमेलन/प्रतिनियुक्ति, महापत्तन न्यास में सादृश्य पदधारी अथवा वेतनमान 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.9100-15100/-) या कार्मिक	

							कार्य/श्रम कल्याण अथवा तत्सुल्य विषय में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा या विधि विषय में डिग्री ।				एवं औद्योगिक संपर्क मंडल के संबंधित अनुशासन में समान पदों में महा पत्तन न्यास में उसी वर्ग में सहायक सचिव (ग्रे-1)/अध्यक्ष के निजी सचिव / हिन्दी अधिकारी जिन्होंने उस ग्रेड में 5वर्षों की नियमित सेवा की हों, से की जाएगी ।
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

क्र सं	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (रु.)	क्या यह पद चयनित या गैर चयनित है	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती संबंधी (क) आयु (ख)शैक्षणिक योग्यताएं (ग)अनुभव, पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगे ।	परिवीक्षा अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (यदि सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/ आमेलन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिससे भर्ती की जानी है ।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	वरिष्ठ कल्याण अधिकारी	1	श्रेणी -I	रु.10750-300-16750/-	चयनित	35	<b>अनिवार्य:-</b> (i)मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री । (ii) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान	(क)नहीं (ख)हाँ (ग)नहीं	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर आमेलन/प्रतिनियुक्ति	वेतनमान रु.20600-46500/-(पूर्व संशोधित वेतनमान रु.9100-15100/-) में सहायक सचिव-1/अध्यक्ष के निजी सचिव/हिन्दी अधिकारी से पदोन्नति द्वारा जिन्होंने उस ग्रेड में 5 वर्षों की नियमित सेवा की हो, ऐसा न होने पर वेतनमान	

						से सामाजिक विज्ञान में डिग्री या डिप्लोमा (iii) औद्योगिक/वाणिज्यिक/ सरकारी उपक्रम में श्रम अधिकारी/औद्योगिक संपर्क अधिकारी के रूप में 5 वर्ष का अनुभव (iv) स्थानीय भाषा का ज्ञान			द्वारा, दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	रु.20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.9100-15100/-) में सहायक सचिव ग्रेड-1/अध्यक्ष के निजी सचिव/हिन्दी अधिकारी से पदोन्नति द्वारा जिन्होंने उस ग्रेड में 2 वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा कार्मिक एवं औद्योगिक संपर्क मंडल की संबंधित विभाग में वेतनमान रु.20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 9100-15100/-) तथा वेतनमान रु.16400-40500/- में संयुक्त रूप से 8 वर्षों की नियमित सेवा की हो ।  आमेलन/प्रतिनियुक्ति, महापत्तन न्यास में साहश्य पदधारी अथवा वेतनमान 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.9100-15100/-) में सहायक सचिव (ग्रे-1)/अध्यक्ष के निजी सचिव/हिन्दी अधिकारी जिन्होंने उस ग्रेड में 5 वर्षों की नियमित सेवा की हों, से की जाएगी ।
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

क्र सं	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (रु.)	क्या यह पद चयनित या गैर चयनित है	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती संबंधी (क) आयु (ख) शैक्षणिक योग्यताएं (ग) अनुभव, पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगे ।	परिवीक्षा अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (यदि सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/ आमेलन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिससे भर्ती की जानी है ।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	अध्यक्ष के निजी सचिव	01	प्रथम श्रेणी	रु.20600-46500/) पूर्व संशोधित वेतनमान रु.9100-	चयनित	30	<b>अनिवार्य:-</b> (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि (ii) आशुलिपि व टंकण में प्रति मिनट 120/40 शब्द गति में	(क) नहीं (ख) नहीं (ग) नहीं	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा, ऐसा न होने आमेलन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों	अपने ग्रेड में 3 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु.16400-40500/- वेतनमान वाले विभागाध्यक्षों निजी सहायक/उपाध्यक्ष की निजी सहायक से पदोन्नति । महा पत्तन न्यास में अपने ग्रेड में 3 वर्ष नियमित सेवायुक्त अनुरूपी पदधारी अधिकारियों या संवर्ग पद पर कार्यरत अधिकारी से आमेलन/प्रतिनियुक्ति की	

				250-15100/-)			प्रवीणता (iii) कंप्यूटर अप्लिकेशन का ज्ञान (iv) औद्योगिक/ वाणिज्यिक/ सरकारी उपक्रमों में आशुलिपिक/निजी सहायक के रूप में 5 वर्ष का अनुभव ।			तरीकों से न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	जाएगी ।	
--	--	--	--	--------------	--	--	---	--	--	--	---------	--

क्र सं	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (रु.)	क्या यह पद चयनित या गैर चयनित है	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती संबंधी (क) आयु (ख)शैक्षणिक योग्यताएं (ग)अनुभव, पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगे ।	परिवीक्षा अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (यदि सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/ आमेलन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिससे भर्ती की जानी है ।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	अध्यक्ष के वरिष्ठ निजी सचिव	01	प्रथम श्रेणी	रु.20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.10750-300-16750/-)	चयनित	35	<b>अनिवार्य:-</b> (i)मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि (ii) आशुलिपि व टंकण में प्रति मिनट 120/40 शब्द गति में प्रवीणता ।	(क)नहीं (ख)नहीं (ग)नहीं	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा, ऐसा न होने आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों तरीकों से न होने पर	अपने ग्रेड में 5 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु.20600-46500/- वेतनमान (पूर्व संशोधित वेतन मान रु. 9100-1500/-) वाले अध्यक्ष के निजी सचिव से पदोन्नति, ऐसा न होने पर रु.20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.9100-15100) वेतनमान में अपने ग्रेड में 2 वर्ष और रु. 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.9100-15100/-) के वेतन मान में संयुक्त रूप से	

							(iii) कंप्यूटर अप्लिकेशन का ज्ञान (iv) औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रमों में आशुलिपिक/निजी सहायक के रूप में 5 वर्ष का अनुभव ।			सीधी भर्ती द्वारा	8 वर्ष नियमित सेवायुक्त अध्यक्ष के निजी सचिव से पदोन्नति । महा पत्तन में अपने ग्रेड में 5 वर्ष नियमित सेवायुक्त अनुरूपी पदधारी या संवर्ग पद पर कार्यरत अधिकारी से आमेलन/प्रतिनियुक्ति की जाएगी ।	
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	-------------------	---	--

क्र सं	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (रु.)	क्या यह पद चयनित या गैर चयनित है	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती संबंधी (क) आयु (ख) शैक्षणिक योग्यताएं (ग) अनुभव, पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगे ।	परिवीक्षा अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (यदि सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/ आमेलन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिससे भर्ती की जानी है ।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	वरिष्ठ सहायक संपदा प्रबंधक	01	प्रथम श्रेणी	रु.20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.10750-300-16750/-)	चयनित	35	<b>अनिवार्य:-</b> (i) इंस्टिट्यूसन ऑफ सर्वेयर (भारत) के (ii) औद्योगिक/वाणिज्यिक/ सरकारी उपक्रम में संपदा प्रबंधन, मूल्यांकन या भूमि रिकार्ड में सात वर्ष का कार्यपालक अनुभव <b>वांछनीय :</b> मान्यताप्राप्त	(क) नहीं (ख) नहीं (ग) नहीं	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों तरीकों से न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	अपने ग्रेड में 5 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु.20600-46500/- वेतनमान (पूर्व संशोधित वेतन मान रु. 9100-1500/-) वाले अध्यक्ष के निजी सचिव से पदोन्नति, ऐसा न होने पर रु.20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.9100-15100) वेतनमान में अपने ग्रेड में 2 वर्ष और रु. 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.9100-15100/-) के वेतन मान में संयुक्त रूप से 8 वर्ष नियमित सेवायुक्त अध्यक्ष के निजी सचिव से पदोन्नति । महा पत्तन में अपने ग्रेड में 5 वर्ष नियमित सेवायुक्त अनुरूपी पदधारी या संवर्ग पद पर कार्यरत	

							विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री				अधिकारी से आमेलन/प्रतिनियुक्ति की जाएगी।	
--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	--	--

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (रु.)	क्या यह पद चयनित या गैर चयनित है	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती संबंधी (क) आयु (ख)शैक्षणिक योग्यताएं (ग)अनुभव, पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगे।	परिवीक्षा अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (यदि सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/ आमेलन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिससे भर्ती की जानी है।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	उप मुख्य विधि अधिकारी	01	प्रथम श्रेणी	रु.24900-50500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.13000-350-18250/-)	चयनित	40	<b>अनिवार्य:-</b> (i)मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री (ii)औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रमों में विधि स्थापना में 9 वर्ष का अनुभव <b>वांछनीय :-</b> मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री	(क)नहीं (ख) हाँ (ग)नहीं	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा, ऐसा न होने आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों तरीकों से न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	अपने ग्रेड में 4 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु.20600-46500/- वेतनमान (पूर्व संशोधित वेतन मान रु. 10750-16750/-) वाले वरिष्ठ सहायक सचिव/वरिष्ठ कल्याण अधिकारी/वरिष्ठ सहायक संपदा प्रबंधक/अध्यक्ष के वरिष्ठ निजी सचिव से पदोन्नति, ऐसा न होने पर विभाग में विधि विषय में रु.20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.10750-16750/-) वेतनमान में अपने ग्रेड में 2 वर्ष और रु.20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 10750-16750/-) एवं 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 9100-15100/-) के वेतन मान में संयुक्त रूप से 9 वर्ष नियमित सेवायुक्त वरिष्ठ सहायक सचिव/वरिष्ठ कल्याण अधिकारी/वरिष्ठ सहायक संपदा प्रबंधक/अध्यक्ष के वरिष्ठ निजी सचिव से पदोन्नति।	संवर्ग पुनःसंरचना आदेश (1.13) दि.6.2.2004 के अनुसार भर्ती,वरियता तथा पदोन्नति विनियम की प्रारंभ की तारीख से पत्तन कर्मचारियों में विधि अर्हता प्राप्त अधिकारी और रु.20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान 10750-16750/-) वेतनमान में विधि में अर्हता प्राप्त अधिकारी को पद

											महा पत्तन न्यास में अपने ग्रेड में 4 वर्ष नियमित सेवायुक्त अनुरूपी पदधारी या रु.20600-46500/- वेतनमान (पूर्व संशोधित वेतन मान रु. 10750-16750/-) वाले वरिष्ठ सहायक सचिव/वरिष्ठ कल्याण अधिकारी/वरिष्ठ सहायक संपदा प्रबंधक/अध्यक्ष के वरिष्ठ निजी सचिव या समतुल्य पद पर कार्यरत अधिकारी से आमेलन/प्रतिनियुक्ति की जाएगी ।	पर आमेलन के लिए वरीयता दी जाएगी ।
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	-----------------------------------

क्र सं	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (रु.)	क्या यह पद चयनित या गैर चयनित है	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती संबंधी (क) आयु (ख)शैक्षणिक योग्यताएं (ग)अनुभव, पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगे ।	परिवीक्षा अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (यदि सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/ आमेलन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिससे भर्ती की जानी है ।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	उप सचिव	01	प्रथम श्रेणी-1	रु.24900-50500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.13000-350-18250/-)	चयनित	40	अनिवार्य :- (i) मान्यताप्राप्त विश्व विद्यालय से उपाधि । (ii) किसी औद्योगिक /वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में सामान्य प्रशासन,कार्मिक,औद्योगिक संबंध आदि क्षेत्र में नौ वर्ष का अनुभव । वांछनीय :- मान्यताप्राप्त	(क)नहीं (ख)हाँ (ग)नहीं	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा, ऐसा न होने आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों तरीकों से न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	अपने ग्रेड में 4 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु.20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.10750-16750/-) वेतनमान वाले वरिष्ठ सहायक सचिव/अध्यक्ष के वरिष्ठ सहायक सचिव/वरिष्ठ कल्याण अधिकारी से पदोन्नति, ऐसा न होने पर, सामान्य प्रशासन विभाग के संबंधित पद पर रु.20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.10750-16750/-) वेतनमान में अपने ग्रेड में 2 वर्ष नियमित सेवा रु.20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.10750-16750/-) व रु. 20600-	

							विश्वविद्यालय/संस्था से कार्मिक प्रबंधन /औद्योगिक संबंध / सामाजिक कार्य / श्रम कल्याण अथवा संबद्ध विषयों पर स्नातकोत्तर उपाधि/डिप्लोमा अथवा विधि में उपाधि ।				46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.10750-16750/-) वेतनमानों में संयुक्त रूप से नौ वर्ष नियमित सेवायुक्त वरिष्ठ सहायक सचिव/अध्यक्ष के वरिष्ठ निजी सचिव/वरिष्ठ कल्याण अधिकारी से पदोन्नति । आमेलन/प्रतिनियुक्ति हेतु महा पत्तन न्यास में अनुरूपी पदधारी अधिकारी अथवा वेतनमान रु.20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.10750-16750/-) में वरिष्ठ सहायक सचिव/अध्यक्ष के वरिष्ठ निजी सचिव /वरिष्ठ कल्याण अधिकारी जिन्होंने उस ग्रेड में 4 वर्ष की नियमित सेवा की हों, से की जाएगी ।	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (रु.)	क्या यह पद चयनित या गैर चयनित है	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती संबंधी (क) आयु (ख)शैक्षणिक योग्यताएं (ग)अनुभव, पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगे ।	परिवीक्षा अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (यदि सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/ आमेलन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिससे भर्ती की जानी है ।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	वरिष्ठ उप सचिव	01	प्रथम श्रेणी- I	रु.32900-58500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.16000-400-20800/-)	चयनित	42	<b>अनिवार्य</b> :- (i) मान्यताप्राप्त विश्व विद्यालय से उपाधि । (ii) किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/ सरकारी उपक्रम में सामान्य प्रशासन, कार्मिक, औद्योगिक संबंध आदि क्षेत्र में कार्यपालकीय संवर्ग में नौ वर्ष का अनुभव ।	(क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं	लागू नहीं है ।	पदोन्नति द्वारा, ऐसा न होने आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों तरीकों से न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	समेकित पद्धति से आमेलन के लिए महा पत्तन न्यासों में सादृश्य पदधारी अथवा सामान्य प्रशासन विभाग की संबंधित बिधा में उप सचिव व समतुल्य पदधारी (जैसे मुख्य जन संपर्क अधिकारी/उप संपदा प्रबंधक/उप मुख्य विधि अधिकारी/कार्मिक अधिकारी) जिन्होंने रु.24900-50500/- वेतनमानवाले ग्रेड में 3 वर्ष की नियमित सेवा की हो, अथवा सा.प्र.वि. की संबंधित विधा में उप सचिव या समतुल्य पदधारी जिन्होंने उस ग्रेड में 2 वर्षों की नियमित	जैसाकि इस पद को पहलीवार नए रूप से सृजित किया गया है अतः पूर्वापाय के रूप में इसे भरने हेतु भर्ती की कोई मिश्रित पद्धति नहीं अपनाई जाएगी । पहले पदोन्नति द्वारा इस पद को

							वांछनीय :- मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से कार्मिक प्रबंधन/औद्योगिक संबंध/सामाजिक कार्य/श्रम कल्याण अथवा संबद्ध विषयों पर स्नातकोत्तर उपाधि/डिप्लोमा अथवा विधि में उपाधि ।				सेवा तथा महा पत्तन न्यास में सा.प्र.वि में रु.20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.10750-16750/-) तथा 24900-50500/- के वेतनमानवाले ग्रेड में संयुक्त रूप से 7 वर्षों की नियमित सेवा की हो, ही पात्र होंगे । प्रतिनियुक्ति, के मामले में सरकारी/अर्ध सरकारी/पीएसयू/स्वायत्त निकायों में सा.प्र.वि की संबंधित विधा में रु.24900-50500/- वेतनमान में उप सचिव व समतुल्य पदधारी, जिन्होंने उस ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवा की हो, ही पात्र होंगे ।  चयन गुणता के आधार पर किया जाएगा, जिसके लिए एसीआर में समग्र ग्रेडिंग का बेंचमार्क 'बहुत अच्छा' से कम नहीं होनी चाहिए ।	भरा जाएगा , बशर्तकि अभ्यर्थी भर्ती नियम को पूरा करता हो । (संदर्भ-पत्तन एवं गोदी अधिकारियों की संवर्ग पुनः संरचना, मार्च 2005 पर असंगति समिति की रिपोर्ट 5 (क)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

क्र. सं	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (रु.)	क्या यह पद चयनित या गैर चयनित है	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती संबंधी (क) आयु (ख)शैक्षणिक योग्यताएं (ग)अनुभव, पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगे ।	परिवीक्षा अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (यदि सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/ आमेलन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिससे भर्ती की जानी है ।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	सचिव	01	प्रथम	रु.43200-	चयनित	45	अनिवार्य :- (i)	(क)नहीं	लागू नहीं	पदोन्नति	मिश्रित पद्धति से आमेलन हेतु, महा	

1	(वर्ग-II पद)	श्रेणी-I(विभागाध्यक्ष)	66000/-(पूर्व संशोधित वेतनमान रु.18500-450-23900/-)		मान्यताप्राप्त विश्व विद्यालय से उपाधि। (ii) किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में सामान्य प्रशासन,कार्मिक,औद्योगिक संबंध आदि क्षेत्र में कार्यपालकीय संवर्ग में पन्द्रह वर्ष का अनुभव। <b>वांछनीय :-</b> मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से कार्मिक प्रबंधन/औद्योगिक संबंध/सामाजिक कार्य/श्रम कल्याण अथवा संबद्ध विषयों पर स्नातकोत्तर उपाधि/डिप्लोमा अथवा विधि में उपाधि।	(ख)हाँ (ग)नहीं	है	द्वारा, ऐसा न होने आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों तरीकों से न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	पत्तन न्यास में सामान्य प्रशासन विभाग/के संबंधित विषय में अपने ग्रेड में 2 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु.36600-62000/- वेतनमानवाले अधिकारी अथवा अपने ग्रेड में 3 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु.32900-58000/- वेतनमानवाले पदधारी अधिकारी पात्र होंगे।  प्रतिनियुक्ति हेतु, सरकारी / अर्धसरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या स्वायत्तशासी निकायों में अनुरूपी पदधारी अधिकारी या सामान्य प्रशासन/मानव संसाधन विकास विभाग में अपने ग्रेड में 3 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु.32900-58000/- व उससे अधिक वेतनमान के वरिष्ठ उपसचिव व समतुल्य अधिकारी पात्र होंगे। चयन अर्हता के आधार पर होगा। जिसके लिए एसीआर में समय ग्रेडिंग की बेंचमार्क बहुत अच्छा से नीचे नहीं होनी चाहिए।	
---	--------------	------------------------	---	--	---	----------------	----	--	---	--

**वित्त एवं लेखा विभाग, पारादीप पत्तन न्यास के अधीन प्रथम श्रेणी पदों के लिए भर्ती नियम**

क्र सं	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (रु.)	क्या यह पद चयनित या गैर चयनित है	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती संबंधी क) आयु ख)शैक्षणिक योग्यताएं ग) अनुभव, पदोन्नति /आमेलन/प्रतिनियु	परिवीक्षा अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (यदि सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिससे भर्ती की जानी है।	टिप्पणी
--------	-----------	----------------	----------	----------------	----------------------------------	--	---	--	-----------------------------	---	--	---------





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	उप मुख्य लेखा अधिकारी	02	प्रथम श्रेणी	रु.24900-50500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.1300-400-20800/-)	चयनित	42	<p><b>अनिवार्य</b> : इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया या इंस्टिट्यूट ऑफ कास्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सदस्य</p> <p>(ii) : औद्योगिक / वाणिज्यिक /सरकारी उपक्रम में वित्त, अकाउंटिंग में कार्यपालकीय संवर्ग में 9 वर्ष का अनुभव ।</p>	(क)नहीं (ख)नहीं, लेकिन मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि जरूरी है । (ग) नहीं ।	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों तरीकों से न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	अपने ग्रेड में 4 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु.20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.10750-16750/-) वेतनमानवाले वरिष्ठ लेखा अधिकारी से पदोन्नति, ऐसा न होने पर अपने ग्रेड में 2 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु.20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.10750-16750/-) वेतनमानवाले और वित्त विभाग के संबंधित विषय में रु. रु.20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.10750-16750/-) और रु.20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमानरु.9100-15100/-) वेतनमानों में संयुक्त रूप में 9 वर्ष नियमित सेवावाले वरिष्ठ लेखा अधिकारी से पदोन्नति । महा पत्तन न्यास में अनुरूपी पदधारी अधिकारी या अपने ग्रेड में 4 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु.20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.10750-16750/-) वेतनमानवाले वरिष्ठ लेखा अधिकारी से आमेलन/प्रतिनियुक्ति की जाएगी ।	

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (रु.)	क्या यह पद चयनित या	सीधी भर्ती के लिए	सीधी भर्ती के लिए	क्या सीधी भर्ती संबंधी	परिवीक्षा अवधि	भर्ती का तरीका (यदि	पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिससे भर्ती की जानी है ।	टिप्पणी
----------	-----------	----------------	----------	----------------	---------------------	-------------------	-------------------	------------------------	----------------	---------------------	---	---------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					गैर चयनित है	अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	(क) आयु (ख)शैक्षणिक योग्यताएं (ग)अनुभव, पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगे ।	(वर्षों में)	सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/ आमेलन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)		
4	वरिष्ठ उप मुख्य लेखा अधिकारी	01	प्रथम श्रेणी	रु.32900-58000/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.16000-400-20800/-)	चयनित	35	अनिवार्य : (i) इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया या इंस्टिट्यूट ऑफ कास्ट एंड वर्कस अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सदस्य (ii) औद्योगिक / वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में वित्त, अकाउंटिंग में कार्यपालकीय संवर्ग में 2 वर्ष का अनुभव ।	(क)नहीं (ख) हाँ (ग)नहीं	लागू नहीं है	पदोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों तरीकों से न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	मिश्रित पद्धति से आमेलन हेतु, महा पत्तन न्यास में अनुरूपी पदधारी अधिकारी या वित्त विभाग के संबंधित विषय में अपने ग्रेड रु.24900-50500/- के वेतनमान में 3 वर्ष नियमित सेवायुक्त उप मुख्य लेखा अधिकारी और उसके समतुल्य पदधारी या महा पत्तन न्यास में वित्त विभाग के संबंधित विषय में अपने ग्रेड में 2 वर्ष नियमित सेवा तथा रु.20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.10750-16750/-) और रु.24900-50500/- के वेतनमानों में संयुक्त रूप से 7 वर्ष नियमित सेवायुक्त उप मुख्य लेखा अधिकारी व समतुल्य पदधारी पात्र होंगे । प्रतिनियुक्ति हेतु, सरकारी/अर्ध सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या स्वायत्तशासी निकायों में अनुरूपी पदधारी अधिकारी या वित्त विभाग के संबंधित विषय में अपने ग्रेड में 3 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु.24900-50500/- वेतनमानवाले उप मुख्य लेखा अधिकारी और उसके समतुल्य पदधारी अधिकारी पात्र होंगे । चयन अर्हता के आधार पर होगा जिसके लिए एसीआर समग्र ग्रेडिंग की बेंचमार्क बहुत अच्छा से नीचे नहीं होंगा ।	जैसाकि इस पद को पहलीवार नए रूप से सृजित किया गया है अतः पूर्वापाय के रूप में इसे भरने हेतु भर्ती की कोई मिश्रित पद्धति नहीं अपनाई जाएगी । पहले पदोन्नति द्वारा इस पद को भरा जाएगा, बशर्तकि अभ्यार्थी भर्ती नियम को पूरा करता हो । (संदर्भ-पत्तन एवं गोदी अधिकारियों की संवर्ग पुनः संरचना,मार्च 2005 पर असंगति समिति की रिपोर्ट 5 (क)

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (रु.)	क्या यह पद चयनित या गैर चयनित है	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती संबंधी (क) आयु (ख)शैक्षणिक योग्यताएं (ग)अनुभव, पदोन्नति/आमेलन/ प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगे ।	परिवीक्षा अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (यदि सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/आमेलन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिससे भर्ती की जानी है ।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी (वर्ग-II पद)	01	प्रथम श्रेणी (विभागाध्यक्ष)	रु.43200-66000/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.18500-450-23900/-)	चयनित	45	अनिवार्य : (i) इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया या इंस्टिट्यूट ऑफ कास्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सदस्य (ii) औद्योगिक / वाणिज्यिक /सरकारी उपक्रम में वित्त, अकाउंटिंग में कार्यपालकीय संवर्ग में 2 वर्ष का अनुभव ।	(क)नहीं (ख) हॉ (ग)नहीं	लागू नहीं है	पदोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों तरीकों से न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	मिश्रित पद्धति से आमेलन हेतु, महान न्यास में वित्त विभाग में अनुरूपी पदधारी अधिकारी या अपने ग्रेड में रु.36600-62000/- वेतनमान में 2 वर्ष नियमित सेवायुक्त अधिकारी या अपने ग्रेड में रु.32900-58000/- वेतनमान में 3 वर्ष नियमित सेवायुक्त पदधारी अधिकारी पात्र होंगे। प्रतिनियुक्ति हेतु, सरकारी/अर्ध सरकारी/सार्वजनिक उपक्रमों या स्वायत्तशासी निकायों में अनुरूपी पदधारी अधिकारी या वित्त विभाग में अपने ग्रेड में 3 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु.32900-58000/- और उसे उच्च वेतनमानवाले वरिष्ठ उप मुख्य लेखा अधिकारी और उसके समतुल्य पदधारी अधिकारी पात्र होंगे । चयन अर्हता के आधार पर होगा जिसके लिए एसीआर में समग्र ग्रेडिंग की बेंचमार्क बहुत अच्छा से नीचे नहीं होगा ।	

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (रु.)	क्या यह पद चयनित या गैर चयनित है	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती संबंधी (क) आयु (ख)शैक्षणिक योग्यताएं (ग)अनुभव, पदोन्नति/आमेलन/ प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगे ।	परिवीक्षा अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (यदि सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/आमेलन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिससे भर्ती की जानी है ।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	सहायक निदेशक (ईडीपी)	01	प्रथम श्रेणी	रु.20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.9100-250-15100/-)	चयनित	30	अनिवार्य : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर इंजीनियरी/कंप्यूटर विज्ञान में डिग्री या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से गणित/सांख्यिकी/परिचालन अनुसंधान/अर्थशास्त्र में डिग्री सहित कंप्यूटर अप्लिकेशन/कंप्यूटर साइंस/सूचना तकनीकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से कंप्यूटर अप्लिकेशन/कंप्यूटर	(क)नहीं (ख) हॉ (ग)नहीं	02 वर्ष	<u>21 अगस्त 2012 तक</u> सीधी भर्ती द्वारा - 33.1/3% पदोन्नति द्वारा- 66.2/3% <u>21 अगस्त 2012 के बाद</u> सीधी भर्ती द्वारा-66.2/3% पदोन्नति द्वारा- 33.1/3%	अपने ग्रेड में 03 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु.16400-40500/- वेतनमानवाले प्रोग्रामर से पदोन्नति । या पी एण्ड आर मंडल की संबंधित विधा में वेतनमान रु.13600-32600/- में तृतीय श्रेणी कर्मचारी जिन्होंने उस ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो, जहाँ उस विधा में वेतनमान रु.16400-40500/- में कोई द्वितीय श्रेणी कर्मचारी नहीं है, से पदोन्नति ।	

							विज्ञान/सूचना तकनीकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा सहित इंजीनियरी में डिग्री					
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (रु.)	क्या यह पद चयनित या गैर चयनित है	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती संबंधी (क) आयु (ख)शैक्षणिक योग्यताएं (ग)अनुभव, पदोन्नति/आमेलन/ प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगे ।	परिवीक्षा अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (यदि सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/आमेलन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिससे भर्ती की जानी है ।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	उप निदेशक (ईडीपी)	01	प्रथम श्रेणी	रु.20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.10750-300-16750/-)	चयनित	35	<b>अनिवार्य</b> : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कंप्यूटर इंजिनियरिंग /कंप्यूटर विज्ञान में डिग्री या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कंप्यूटर अप्लिकेशन /कंप्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा सहित गणित/सांख्यिकी/परिचालन अनुसंधान/अर्थशास्त्र में डिग्री या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान	(क)नहीं (ख) हाँ (ग)नहीं	02 वर्ष	पदोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों तरीकों से न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	वेतनमान रु.20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 9100-15100/-) में सहायक निदेशक (ईडीपी) से पदोन्नति द्वारा जिन्होंने उस ग्रेड में 5 वर्षों की नियमित सेवा की हो, ऐसा न होने पर वेतनमान रु. रु.20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 9100-15100/-) में सहायक निदेशक (ईडीपी) से पदोन्नति द्वारा जिन्होंने उस ग्रेड में 2 वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा पी एण्ड आर प्रभाग की संबंधित विभाग वेतनमान रु. रु.20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 9100-15100/-) एवं रु. 16400-40500/- में संयुक्त रूप से 8 वर्षों की नियमित सेवा की हों । आमेलन/प्रतिनियुक्ति, महा पत्तन न्यास में पी एण्ड आर प्रभाग में साहश्य पदधारी अथवा वेतनमान रु. रु.20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान	

						<p>से कंप्यूटर अप्लिकेशन /कंप्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातोकोत्तर डिप्लोमा सहित इंजिनियरिंग में डिग्री</p> <p>(ii)प्रोग्रामिंग/ इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग/सिस्टम डिजाइन एवं एनलिसिस और संबंधित क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव</p> <p><b>वांछनीय :</b></p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से गणित/ सांख्यिकी/परिचालन अनुसंधान/अर्थशास्त्र में स्नातोकोत्तर उपाधि या</p> <p>(ii) सिस्टम या इन्फॉर्मेशन सिस्टम या एम.आई.एस या सूचना प्रौद्योगिकी और संबंध विषयों में विशेषज्ञता के साथ कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर इंजिनियरिंग या सिस्टम या इन्फॉर्मेशन सिस्टम या एम.आई.एस या सूचना प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर अप्लिकेशन या विसिनेस एडमिनिस्ट्रेशन (स्नातोकोत्तर उपाधि/डिप्लोमा) में स्नातकोत्तर उपाधि ।</p>			<p>रु. 9100-15100/-) में सहायक निदेशक (ईडीपी)/सहायक निदेशक (अनुसंधान) तथा अन्य समतुल्य पदधारी जिन्होंने उस ग्रेड में 5 वर्षों की नियमित सेवा की हो, से की जाएगी ।</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (रु.)	क्या यह पद चयनित या गैर चयनित है	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती संबंधी (क) आयु (ख)शैक्षणिक योग्यताएं (ग)अनुभव, पदोन्नति/आमेलन/ प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगे ।	परिवीक्षा अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (यदि सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/आमेलन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिससे भर्ती की जानी है ।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	वरिष्ठ उप निदेशक (ईडीपी)	01	प्रथम श्रेणी	रु.24900-50500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.13000 18250/-)	चयनित	40	<b>अनिवार्य</b> : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से कंप्यूटर इंजिनियरिंग/कंप्यूटर विज्ञान में डिग्री या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कंप्यूटर अप्लिकेशन /कंप्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातोकोत्तर डिप्लोमा	(क)नहीं (ख) हॉ (ग)नहीं	02 वर्ष	पदोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों तरीकों से न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	अपने ग्रेड में 4 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु.20600-46500/-(पूर्व संशोधित वेतनमान रु.10750-16750/-) वेतनमानवाले उप निदेशक(ईडीपी)/उप निदेशक (अनुसंधान) से पदोन्नति, ऐसा न होने पर पी एण्ड आर मंडल के संबंधित विषय में अपने ग्रेड में रु.20600-46500/-(पूर्व संशोधित वेतनमान रु.10750-16750/-) वेतनमान में 2 वर्ष और रु.20600-46500/-(पूर्व संशोधित वेतनमान रु.10750-16750/-) और रु.20600-46500/-(पूर्व	

						<p>सहित गणित/सांख्यिकी/परिचालन अनुसंधान/अर्थशास्त्र में डिग्री या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कंप्यूटर अप्लिकेशन /कंप्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा सहित इंजिनियरिंग में डिग्री</p> <p>(ii) प्रोग्रामिंग / इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा प्रोसेसिंग / सिस्टम डिजाइन एवं एनालिसिस एवं संबंधित क्षेत्र में नौ वर्ष का अनुभव ।</p> <p><b>वांछनीय :-</b> किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से गणित / सांख्यिकी/प्रचालन अनुसंधान/अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री या</p> <p>(iii) सिस्टम्स या इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलजी और संबंध विषयों में विशेषज्ञता के साथ कंप्यूटर इंजीनियरी या सिस्टम्स या इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स या एमआईएस या इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलजी या कंप्यूटर</p>			<p>संशोधित वेतनमान 9100-15100/- वेतनमान में संयुक्त रूप से 9 वर्ष नियमित सेवायुक्त उप निदेशक (ईडीपी)/उप निदेशक(अनुसंधान) से पदोन्नति ।</p> <p>महा पत्तन न्यास के पी एण्ड आर मंडल के अनुरूपी पदधारी अधिकारी या अपने ग्रेड में 4 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु. रु.20600-46500/-(पूर्व संशोधित वेतनमान रु.10750-16750/-) वेतनमानवाले उप निदेशक(ईडीपी)/उप निदेशक (अनुसंधान) व अन्य समतुल्य पदधारियों से आमेलन/प्रतिनियुक्ति की जाएगी ।</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							एप्लिकेशन या बिजिनेस एडमिनिस्ट्रेशन (स्नातकोत्तर उपाधि/डिप्लोमा) में स्नातकोत्तर उपाधि ।					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**विद्युत एवं यांत्रिक विभाग, पारादीप पत्तन न्यास के अधीन प्रथम श्रेणी पदों के लिए भर्ती नियम**

क्र सं	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (रु.)	क्या यह पद चयनित या गैर चयनित है	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती संबंधी क) आयु ख)शैक्षणिक योग्यताएं ग)अनुभव, पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगे ।	परिवीक्षा अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (यदि सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिससे भर्ती की जानी है ।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	सहायक कार्यपालक अभियंता	12	प्रथम श्रेणी	रु.20600-46500/- (पूर्व	चयनित	30	अनिवार्य : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से यांत्रिक/	(क)नहीं  (ख)नहीं, लेकिन	2 वर्ष	21 अगस्त 2012 तक सीधी भर्ती	अपने ग्रेड में 3 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु.16400-40500/- वेतनमानवाले सहायक अभियंता (यांत्रिक) से पदोन्नति	

	(यांत्रिक)			संशोधित वेतनमान रु.9100- 250- 15100/-)			इंजिनियरिंग में डिग्री या समतुल्य । (ii)औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में कार्यपालकीय संवर्ग में संबंधित विषय में 2 वर्ष का अनुभव ।	मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में इंजीनियरी में डिप्लोमा जरूरी है ।  (ग) नहीं ।		द्वारा - 33.1/3% पदोन्नति द्वारा- 66.2/3% 21 अगस्त 2012 के बाद सीधी भर्ती द्वारा-66.2/3% पदोन्नति द्वारा- 33.1/3%	या यांत्रिक विधा में जहाँ रु.16400-40500/- के वेतनमान में द्वितीय श्रेणी पद नहीं है वहाँ रु.13600-32400/- वेतनमान में तृतीय श्रेणी कर्मचारियों से पदोन्नति द्वारा, जिन्होंने उस ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो ।	
--	------------	--	--	--	--	--	---	--	--	---	--	--

क्र सं	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (रु.)	क्या यह पद चयनित या गैर चयनित है	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती संबंधी (क) आयु (ख)शैक्षणिक योग्यताएं (ग)अनुभव, पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगे ।	परिवीक्षा अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (यदि सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिससे भर्ती की जानी है ।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

2	सहायक कार्यपालक अभियंता (विद्युत/इलेक्ट्रानिक्स एवं टेलिकम्यूनिकेशन )	10	प्रथम श्रेणी	रु.20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.9100-250-15100/-)	चयनित	30	<b>अनिवार्य</b> : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से यांत्रिक/ इंजिनियरिंग में डिग्री या समतुल्य । (ii) औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में कार्यपालकीय संवर्ग में संबंधित विषय में 2 वर्ष का अनुभव ।	(क) नहीं (ख) नहीं, लेकिन मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में इंजीनियरी डिप्लोमा जरूरी है । (ग) नहीं ।	2 वर्ष	21 अगस्त 2012 तक सीधी भर्ती द्वारा - 33.1/3% पदोन्नति द्वारा- 66.2/3% 21 अगस्त 2012 के बाद सीधी भर्ती द्वारा- 66.2/3% पदोन्नति द्वारा- 33.1/3%	अपने ग्रेड में 3 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु.16400-40500/- वेतनमानवाले सहायक अभियंता (विद्युत)/इलेक्ट्रानिक्स से पदोन्नति या विद्युत/इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग विधा में जहाँ रु.16400-40500/- के वेतनमान में द्वितीय श्रेणी पद नहीं है वहाँ रु.13600-32400/- वेतनमान में तृतीय श्रेणी कर्मचारियों से पदोन्नति द्वारा, जिन्होंने उस ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो ।	
---	---	----	--------------	--	-------	----	---	--	--------	---	--	--

क्र सं	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (रु.)	क्या यह पद चयनित या गैर चयनित है	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती संबंधी (क) आयु (ख) शैक्षणिक योग्यताएं (ग) अनुभव, पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगे ।	परिवीक्षा अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (यदि सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिससे भर्ती की जानी है ।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक)	06	प्रथम श्रेणी	रु.20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.10750-	चयनित	35	<b>अनिवार्य</b> : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से यांत्रिक इंजिनियरिंग में डिग्री या समतुल्य । (ii) औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी	(क) नहीं (ख) नहीं, लेकिन मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों तरीकों से	अपने ग्रेड में 5 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु.20600-46500/- पूर्व संशोधित वेतनमान रु.9100-15100/-) वेतनमानवाले सहायक कार्यपालक अभियंता(यां) से पदोन्नति, ऐसा न होने पर अपने ग्रेड में रु.20600-46500/- पूर्व संशोधित वेतनमान रु.9100-	

				300-16750/-)			री उपक्रम में कार्यपालकीय संवर्ग में संबंधित विषय में 5 वर्ष का अनुभव ।	इंजीनियरी में डिप्लोमा जरूरी है ।  (ग) नहीं ।		न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	15100/-) वेतनमान में 2 वर्ष नियमित सेवा तथा यांत्रिक व बिजली इंजीनियरी विभाग में यांत्रिकी इंजीनियरी विषय में रु.20600-46500/- पूर्व संशोधित वेतनमान रु.9100-15100/-) व रु.16400-40500/- वेतनमानों में संयुक्त रूप से 8 वर्ष नियमित सेवायुक्त सहायक कार्यपालक अभियंता (यां) से पदोन्नति ।  या यांत्रिक इंजीनियरी विषय के डिप्लोमा अभियंता जिन्होंने रु.16400-40500/- के वेतनमान में 8 वर्ष की नियमित सेवा की हो और जहाँ उस विषय में रु.20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.9100-15100/-) वाला वेतनमान न हो । महा पत्तन न्यास में संबंधित विषय में अपने ग्रेड में 5 वर्ष नियमित सेवायुक्त अनुरूपी पदधारी या संवर्ग पदधारी अधिकारी से आमेलन/ प्रतिनियुक्ति की जाएगी ।
--	--	--	--	--------------	--	--	---	---	--	-------------------------------	---

क्र सं	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (रु.)	क्या यह पद चयनित या गैर चयनित है	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती संबंधी (क) आयु (ख)शैक्षणिक योग्यताएं (ग)अनुभव, पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगे ।	परिवीक्षा अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (यदि सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/आमेलन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिससे भर्ती की जानी है ।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	कार्यपालक अभियंता (विद्युत/इलेक्ट्रानिक्स एवं	05	प्रथम श्रेणी	रु.20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान	चयनित	35	अनिवार्य : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से विद्युत/इलेक्ट्रानिक्स	(क)नहीं (ख)नहीं, लेकिन मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इंजिनियरी में डिप्लोमा	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों तरीकों से न होने पर सीधी	अपने ग्रेड में 5 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु.20600-46500/- पूर्व संशोधित वेतनमान रु.9100-15100/-) वेतनमानवाले सहायक कार्यपालक अभियंता(विद्युत/इलेक्ट्रानिक्स एवं कम्यूनिकेशन) से पदोन्नति, ऐसा न	

	कम्यूनिक्शन)			रु.10750-300-16750/-)		एवं कम्यूनिक्शन इंजिनियरिंग में डिग्री या समतुल्य । (ii) औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में कार्यपालकीय संवर्ग में संबंधित विषय में 5 वर्ष का अनुभव ।	जरूरी है । (ग) नहीं ।		भर्ती द्वारा ।	होने पर अपने ग्रेड में रु.20600-46500/- पूर्व संशोधित वेतनमान रु.9100-15100/-) वेतनमान में 2 वर्ष नियमित सेवा तथा यांत्रिक व बिजली इंजीनियरी विभाग में विद्युत/इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरी विषय में रु.20600-46500/- पूर्व संशोधित वेतनमान रु.9100-15100/-) व रु.16400-40500/- वेतनमानों में संयुक्त रूप से 8 वर्ष नियमित सेवायुक्त सहायक कार्यपालक अभियंता (विद्युत/इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्यूनिक्शन) से पदोन्नति । या विद्युत/इलेक्ट्रानिक्स व कम्यूनिक्शन इंजीनियरी विषय के डिप्लोमा अभियंता जिन्होंने रु.16400-40500/- के वेतनमान में 8 वर्ष की नियमित सेवा की हो और जहाँ उस विषय में रु.20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.9100-15100/-) वाला वेतनमान न हो । महा पत्तन न्यास में संबंधित विषय में अपने ग्रेड में 5 वर्ष नियमित सेवायुक्त अनुरूपी पदधारी या संवर्ग पदधारी अधिकारी से आमेहन/प्रतिनियुक्ति की जाएगी ।
--	--------------	--	--	-----------------------	--	---	--------------------------	--	----------------	---

क्र सं	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (रु.)	क्या यह पद चयनित या गैर चयनित है	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती संबंधी (क) आयु (ख)शैक्षणिक योग्यताएं (ग)अनुभव, पदोन्नति/आमेहन/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगे ।	परिवीक्षा अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (यदि सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/आमेहन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/आमेहन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिससे भर्ती की जानी है ।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	अधीक्षण अभियंता	02	प्रथम श्रेणी	रु.24900-50500/-	चयनित	40	अनिवार्य : (i) किसी मान्यताप्राप्त	(क)नहीं  (ख)नहीं, लेकिन	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर	अपने ग्रेड में 4 वर्ष सेवायुक्त रु.20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान	

	(यांत्रिक)			(पूर्व संशोधित वेतनमान रु.13000-350-18250/-)		विश्वविद्यालय/संस्थान से यांत्रिक इंजिनियरिंग में डिग्री या समतुल्य । (ii) औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में कार्यपालकीय संवर्ग में संबंधित विषय में 9 वर्ष का अनुभव ।	मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में इंजीनियरी में डिप्लोमा जरूरी है ।  (ग) नहीं ।		आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों तरीकों से न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	रु.10750-16750/-) वेतन मानवाले कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक), से पदोन्नति, ऐसा न होने पर एम एण्ड ई इंजिनियरिंग विभाग में कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक) ग्रेड में रु. 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.10750-16750/-) वेतनमान में 2 वर्ष नियमित सेवा तथा रु.20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.10750-16750/-) व रु. 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.10750-16750/-) वेतनमानों में संयुक्त रूप से 9 वर्ष नियमित सेवायुक्त कार्यपालक अभियंता (याँ) से पदोन्नति । महा पत्तन न्यास में अपने ग्रेड में 4 वर्ष नियमित सेवायुक्त अनुरूपी पदधारी या संवर्ग पदधारी अधिकारी से आमेलन/प्रतिनियुक्ति की जाएगी ।	
--	------------	--	--	--	--	---	--	--	---	--	--

क्र सं	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (रु.)	क्या यह पद चयनित या गैर चयनित है	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती संबंधी (क) आयु (ख) शैक्षणिक योग्यताएं (ग) अनुभव, पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगे ।	परिवीक्षा अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (यदि सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिससे भर्ती की जानी है ।	टिप्पणी
--------	-----------	----------------	----------	----------------	----------------------------------	--	---	---	-----------------------------	---	---	---------



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	उप मुख्य यांत्रिक अभियंता	01	प्रथम श्रेणी	रु.32900-58000/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.16000-400-208000/-)	चयनित है	42	अनिवार्य : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से यांत्रिक इंजिनियरिंग में डिग्री या समतुल्य । (ii) औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में कार्यपालकीय संवर्ग में संबंधित विषय में 12 वर्ष का अनुभव ।	(क) नहीं (ख) नहीं (ग) नहीं ।	लागू नहीं है	मिश्रित पद्धति से आमेलन द्वारा ऐसा न होने पर अन्य सरकारी संगठनों से प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों तरीकों से न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	मिश्रित पद्धति से आमेलन हेतु महा पत्तन न्यास में संबंधित विषय में अनुरूपी पदधारी अधिकारी या यांत्रिक व बिजली इंजीनियरी विभाग में संबंधित विषय में रु. 24900-50500/- वेतनमान के अपने ग्रेड में 3 वर्ष नियमित सेवायुक्त अधीक्षण अभियंता व उसके समतुल्य अधिकारी अथवा महा पत्तन न्यास में यांत्रिक व बिजली इंजीनियरी विभाग में संबंधित विषय में अपने ग्रेड में 2 वर्ष नियमित से तथा रु 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान 10750-16750/-) और रु 24900-50500/- वेतनमानों में संयुक्त रूप से 7 वर्ष नियमित सेवायुक्त अधीक्षण अभियंता या उसके समतुल्य अधिकारी पात्र होंगे । प्रतिनियुक्ति हेतु सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकायों में यांत्रिक व बिजली इंजीनियरी विभाग में अनुरूपी पदधारी अधिकारी व अपने ग्रेड में 3 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु. 24900-50500/- या उससे अधिक वेतनमानवाले अधीक्षण अभियंता और उसके समतुल्य पदधारी अधिकारी पात्र होंगे । चयन अर्हता के आधार पर होगा जिसके लिए एसीआर में समग्र ग्रेडिंग की बेंचमार्क 'बहुत अच्छा' से नीचे नहीं होनी चाहिए ।	जैसाकि इस पद को पहलीवार नए रूप से सृजित किया गया है अतः पूर्वोपाय के रूप में इसे भरने हेतु भर्ती की कोई मिश्रित पद्धति नहीं अपनाई जाएगी । पहले पदोन्नति द्वारा इस पद को भरा जाएगा, बशर्तकि अभ्यार्थी भर्ती नियम को पूरा करता हो । (संदर्भ-पत्तन एवं गोदी अधिकारियों की संवर्ग पुनः संरचना, मार्च 2005 पर असंगति समिति की रिपोर्ट 5 (क)

क्र सं	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (रु.)	क्या यह पद	सीधी भर्ती के लिए	सीधी भर्ती के लिए	क्या सीधी भर्ती संबंधी (क) आयु (ख) शैक्षणिक	परिचीक्षा	भर्ती का तरीका (यदि सीधी भर्ती)	पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिससे भर्ती की	टिप्पणी
--------	-----------	----------------	----------	----------------	------------	-------------------	-------------------	---	-----------	---------------------------------	---	---------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	उप मुख्य विद्युत अभियंता	01	प्रथम श्रेणी	रु.32900-58000/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.16000-400-20800/)	चयनित	42	<p><b>अनिवार्य</b> : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से यांत्रिक इंजिनियरिंग में डिग्री या समतुल्य ।</p> <p>(ii) औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में कार्यपालकीय संवर्ग में संबंधित विषय में 12 वर्ष का अनुभव ।</p>	<p>योग्यताएं (ग)अनुभव, पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगे ।</p>	<p>अवधि (वर्षों में)</p>	<p>द्वारा अथवा पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)</p>	<p>जानी है ।</p>	<p>जैसाकि इस पद को पहलीवार नए रूप से सृजित किया गया है अतः पूर्वापाय के रूप में इसे भरने हेतु भर्ती की कोई मिश्रित पद्धति नहीं अपनाई जाएगी । पहले पदोन्नति द्वारा इस पद को भरा जाएगा , बशर्तकि अभ्यार्थी भर्ती नियम को पूरा करता हो । (संदर्भ-पत्तन एवं गोदी अधिकारियों की संवर्ग पुनः संरचना, मार्च 2005 पर असंगति समिति की रिपोर्ट 5 (क)</p>
								<p>(क)नहीं</p> <p>(ख)हों</p> <p>(ग) नहीं ।</p>	<p>लागू नहीं है</p>	<p>मिश्रित पद्धति से आमेलन द्वारा ऐसा न होने पर अन्य सरकारी संगठनों से प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों तरीकों से न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।</p>	<p>मिश्रित पद्धति से आमेलन हेतु महा पत्तन न्यास में संबंधित विषय में अनुरूपी पदधारी अधिकारी या यांत्रिक व बिजली इंजीनियरी विभाग में संबंधित विषय में रु 24900-50500/- वेतनमान के अपने ग्रेड में 3 वर्ष नियमित सेवायुक्त अधीक्षण अभियंता व उसके समतुल्य अधिकारी अथवा महा पत्तन न्यास में यांत्रिक व बिजली इंजीनियरी विभाग में संबंधित विषय में अपने ग्रेड में 2 वर्ष नियमित से तथा रु 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान 10750-16750/-) और रु 24900-50500/- वेतनमानों में संयुक्त रूप से 7 वर्ष नियमित सेवायुक्त अधीक्षण अभियंता या उसके समतुल्य अधिकारी पात्र होंगे । प्रतिनियुक्ति हेतु सरकारी /सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकायों में यांत्रिक व बिजली इंजीनियरी विभाग में अनुरूपी पदधारी अधिकारी व अपने ग्रेड में 3 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु. 32900-58500/- या उससे अधिक वेतनमानवाले अधीक्षण अभियंता और उसके समतुल्य पदधारी अधिकारी पात्र होंगे । चयन अर्हता के आधार पर होगा जिसके लिए एसीआर में समग्र ग्रेडिंग की बेंचमार्क 'बहुत अच्छा ' से नीचे नहीं</p>	

											होनी चाहिए	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--

क्र सं	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (रु.)	क्या यह पद चयनित या गैर चयनित है	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती संबंधी (क) आयु (ख)शैक्षणिक योग्यताएं (ग)अनुभव, पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगे।	परिवीक्षा अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (यदि सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/ आमेलन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिससे भर्ती की जानी है।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	मुख्य यांत्रिक अभियंता (वर्ग-II पद)	01	प्रथम श्रेणी	रु.43200-66000/-(पूर्व संशोधित वेतनमान रु.18500 23900/-)	चयनित	45	अनिवार्य : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से यांत्रिक/बिजली/इलेक्ट्रॉनिक्स व कम्प्यूनिक्शन्स इंजिनियरिंग/नौ निर्माण में डिग्री या उसके समतुल्य। या मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 1958 के अधीन जारी एमओटी I श्रेणी का प्रमाण-पत्र (ii) किसी महा पत्तन न्यास/औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में माल दुलाई उपस्कर/बिजली सापनाएं/जहाज मरम्मत के अनुरक्षणीय कार्यों में कर्मशालाओं में 08 वर्ष अनुभव सहित यांत्रिक/बिजली/समुद्रीय/इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कार्यों में प्रबंधकीय हैसियत से 15 वर्ष का अनुभव।	(क)नहीं (ख)हाँ (ग) नहीं।	लागू नहीं है	मिश्रित पद्धति से आमेलन द्वारा ऐसा न होने पर अन्य सरकारी संगठनों से प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों तरीकों से न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	मिश्रित पद्धति से आमेलन हेतु, महा पत्तन न्यास में यांत्रिक, बिजली इंजीनियरिंग विभाग और समुद्री विभाग(केवल समुद्री अभियंता वर्ग पर लागू) में अनुरूपी पदधारी अधिकारी या रु.36600-62000/- वेतनमान के पद पर अपने ग्रेड में 2 वर्ष नियमित सेवायुक्त अधिकारी या रु.32900-58500/- वेतनमान के पद पर अपने ग्रेड में 3 वर्ष नियमित सेवायुक्त अधिकारी पात्र होंगे। प्रतिनियुक्ति हेतु सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकायों में यांत्रिक व बिजली इंजीनियरी विभाग में अनुरूपी पदधारी अधिकारी व अपने ग्रेड में 3 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु. 32900-58500/- या उससे अधिक वेतनमानवाले उप मुख्य यांत्रिक अभियंता और उसके समतुल्य पदधारी अधिकारी पात्र होंगे।	चयन अर्हता के आधार पर होगा जिसके लिए एसीआर में समग्र ग्रेडिंग की बेंचमार्क 'बहुत अच्छा' से नीचे नहीं होनी चाहिए।

क्र सं	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (रु.)	क्या यह पद चयनित या गैर चयनित है	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती संबंधी (क) आयु (ख)शैक्षणिक योग्यताएं (ग)अनुभव, पदोन्नति/आमेलन/प्रति नियुक्ति के मामले में लागू होंगे ।	परिवीक्षा अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (यदि सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/आमेलन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिससे भर्ती की जानी है ।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	सहायक सामग्री प्रबंधक ग्रेड-I	01	प्रथम श्रेणी	रु.20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.9100-15100/-)	चयनित	30	अनिवार्य : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से यांत्रिक/विद्युत इंजिनियरिंग में डिग्री या समतुल्य । वांछनीय : (i) किसी औद्योगिक / वाणिज्यिक / सरकारी उपक्रम में संबंधित विषय में कार्यपालकीय संवर्ग में 5 वर्ष का अनुभव । (ii) किसी औद्योगिक /वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में सामग्री प्रबंधन में दो वर्ष का अर्हता पश्चात् अनुभव ।	(क)नहीं (ख)नहीं, लेकिन मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में इंजीनियरी में डिप्लोमा जरूरी है । (ग) नहीं ।	2 वर्ष	<u>21 अगस्त 2012 तक</u> सीधी भर्ती द्वारा - 33.1/3% पदोन्नति द्वारा- 66.2/3% <u>21 अगस्त 2012 के बाद</u> सीधी भर्ती द्वारा-66.2/3% पदोन्नति द्वारा- 33.1/3%	अपने ग्रेड में 3 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु.16400-40500/- वेतनमानवाले सहायक सामग्री प्रबंधक ग्रेड-II से पदोन्नति । अथवा सामग्री प्रबंधन मंडल की संबंधित विधा में वेतनमान 13600-32400/- में तृतीय श्रेणी कर्मचारियों से पदोन्नति द्वारा, जिन्होंने उस ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो जहां उस विधा में वेतनमान रु 16400-40500/- में कोई द्वितीय श्रेणी पद नहीं है ।	

क्र सं	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (रु.)	क्या यह पद चयनित या गैर चयनित है	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती संबंधी (क) आयु (ख)शैक्षणिक योग्यताएं (ग)अनुभव, पदोन्नति/आमेलन/प्रति नियुक्ति के मामले में लागू होंगे ।	परिवीक्षा अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (यदि सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति /आमेलन/प्रतिनि युक्ति द्वारा)	पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिससे भर्ती की जानी है ।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	उप सामग्री प्रबंधक	01	प्रथम श्रेणी	रु.20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.10750-16750/-)	चयनित	35	अनिवार्य : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से यांत्रिक/विद्युत इंजीनियरिंग में डिग्री या समतुल्य । (ii) किसी औद्योगिक / वाणिज्यिक /सरकारी उपक्रम में सामग्री प्रबंधन/यांत्रिक इंजी./बिजली इंजी. के क्षेत्र में कार्यपालकीय संवर्ग में पाँच वर्ष का अनुभव । वांछनीय : (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सामग्री प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा ।	(क)नहीं (ख)नहीं, लेकिन मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में इंजिनियरी में डिप्लोमा जरूरी है । (ग) नहीं ।	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर आमेलन/प्रतिनि युक्ति द्वारा, दोनों तरीकों से न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	अपने ग्रेड में 5 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु 9100-15100/-) वेतनमानवाले सहायक सामग्री प्रबंधक ग्रेड-I से पदोन्नति, ऐसा न होने पर, अपने ग्रेड में 5 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु 9100-15100/-) वेतनमान में सहायक कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक/विद्युत) से पदोन्नति । दोनों न होने पर सामग्री प्रबंधन विभाग/यांत्रिक व बिजली इंजीनियरी विभाग में अपने ग्रेड में रु20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु 9100-15100/-) वेतनमान में 2 वर्ष नियमित सेवायुक्त तथा रु रु20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु 9100-15100/-) एवं रु 16400-40500/- वेतनमानों में संयुक्त रूप से 8 वर्ष नियमित सेवायुक्त सहायक सामग्री प्रबंधक ग्रेड-I अथवा समतुल्य पद/सहायक कार्यपालक अभियंता (विद्युत/यांत्रिक) से पदोन्नति । अथवा वेतनमान रु 16400-40500/- में डिप्लोमा इंजीनियर्स जिन्होंने उस ग्रेड में 8 वर्ष की नियमित सेवा की हो जहां उस विधा में वेतनमान रु20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु 9100-15100/-) मौजूद न हो । महा पत्तन न्यास में अपने ग्रेड में 5 वर्ष नियमित सेवायुक्त अनुरूपी पदधारी या सादृश्य पदधारी अधिकारी से आमेलन/प्रतिनियुक्ति की	

											जाएगी ।	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--

क्र सं	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (रु.)	क्या यह पद चयनित या गैर चयनित है	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती संबंधी (क) आयु (ख)शैक्षणिक योग्यताएं (ग)अनुभव, पदोन्नति/आमेलन/प्रति नियुक्ति के मामले में लागू होंगे ।	परिवीक्षा अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (यदि सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिससे भर्ती की जानी है ।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	वरिष्ठ उप सामग्री प्रबंधक	01	प्रथम श्रेणी	रु.24900-50500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.13000-18250/-)	चयनित	35	<b>अनिवार्य :</b> (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय /संस्थान से यांत्रिक/विद्युत इंजीनियरिंग में डिग्री या समतुल्य । (i i) किसी औद्योगिक / वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में सामग्री प्रबंधन/यांत्रिक इंजी./बिजली इंजी. के क्षेत्र में कार्यपालकीय संवर्ग में नौ वर्ष का अनुभव । <b>वांछनीय :</b> (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सामग्री प्रबंधन में	(क)नहीं (ख)नहीं, लेकिन मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में इंजिनियरी में डिप्लोमा जरुरी है । (ग) नहीं ।	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों तरीकों से न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	अपने ग्रेड में 4 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु 10750-16750/-) वेतनमानवाले उप सामग्री प्रबंधक से पदोन्नति, ऐसा न होने पर, अपने ग्रेड में 4 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु 10750-16750/-) वेतनमान में कार्यपालक अभियंता (विद्युत / यांत्रिक) से पदोन्नति । दोनों न होने पर सामग्री प्रबंधन विभाग/यांत्रिक व बिजली इंजीनियरी विभाग में अपने ग्रेड में 2 वर्ष नियमित सेवायुक्त तथा रु रु20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु 10750-16750/-) एवं रु 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु 9100-15100/-) वेतनमानों में संयुक्त रूप से 9 वर्ष नियमित सेवायुक्त उप सामग्री प्रबंधक / कार्यपालक अभियंता (विद्युत/यांत्रिक) से पदोन्नति । महा पत्तन न्यास में अपने ग्रेड में 5 वर्ष नियमित सेवायुक्त अनुरूपी पदधारी या सादृश्य पदधारी अधिकारी से आमेलन/प्रतिनियुक्ति की जाएगी ।	

							स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा ।					
--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	--	--

### यातायात विभाग,पारादीप पत्तन न्यास के अधीन प्रथम श्रेणी पदों के लिए भर्ती नियम

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (रु.)	क्या यह पद चयनित या गैर चयनित है	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती संबंधी क) आयु ख)शैक्षणिक योग्यताएं ग)अनुभव, पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगे ।	परिवीक्षा अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (यदि सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/ आमेलन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिससे भर्ती की जानी है ।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	सहायक यातायात प्रबंधक ग्रे-I	02	श्रेणी -I	20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.9100-250-15100/-)	चयनित	30	<b>अनिवार्य:-</b> (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से डिग्री । <b>वांछनीय :-</b> किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में शिपिंग/माल संचालन/रेलवे परिवहन में 2 वर्ष कार्यपालकीय अनुभव ।	(क) नहीं (ख)हाँ (ग) नहीं	2 वर्ष	21 अगस्त 2012 तक सीधी भर्ती द्वारा-33.1/3% 21 अगस्त 2012 के बाद सीधी भर्ती द्वारा- 66.2/3%	अपने ग्रेड में 3 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु 16400-40500/- वेतनमानवाले सहायक यातायात प्रबंधक से पदोन्नति । अथवा यातायात विभाग की संबंधित विधा में जहां वेतनमान रु 16400-40500 में कोई श्रेणी-II का पद नहीं है वहां वेतनमान रु 13600-32400 में तृतीय श्रेणी कर्मचारियों से पदोन्नति द्वारा जिन्होंने उस ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो ।	

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (रु.)	क्या यह पद चयनित या गैर चयनित है	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती संबंधी (क) आयु (ख)शैक्षणिक योग्यताएं (ग)अनुभव, पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगे ।	परिवीक्षा अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (यदि सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/ आमेलन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिससे भर्ती की जानी है ।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	वरिष्ठ सहायक यातायात प्रबंधक	02	प्रथम श्रेणी -I	20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.10750-300-16750/-)	चयनित	35	अनिवार्य:- (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से डिग्री । <b>वांछनीय :-</b> किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में शिपिंग/माल संचालन/रेलवे परिवहन में 5 वर्ष कार्यपालकीय अनुभव ।	(क) नहीं (ख)हाँ (ग) नहीं	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	अपने ग्रेड में 5 वर्ष नियमित सेवायुक्त 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.9110-15100/-) के वेतनमानवाले सहायक यातायात प्रबंधक ग्रे-I से, ऐसा न होने पर, यातायात विभाग के संबंधित विषय में रु.20600-46500/-(पूर्व संशोधित वेतनमान रु.9100-15100/-) के वेतनमानवाले ग्रेड में 2 वर्ष और रु. 20600-46500/-(पूर्व संशोधित वेतनमान रु.9100-15100/-) व रु.16400-40500/- के वेतनमान में संयुक्त रूप से 8 वर्ष नियमित सेवायुक्त सहायक यातायात प्रबंधक ग्रेड - I से पदोन्नति । महा पत्तन न्यास में अनुरूपी पदधारी या अपने ग्रेड में 5 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु. 20600-46500/-(पूर्व संशोधित वेतनमान रु.9100-15100/-) के वेतनमानवाले सहायक यातायात प्रबंधक ग्रेड - I पदधारी का आमेलन/प्रतिनियुक्ति किया जाएगा ।	

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (रु.)	क्या यह पद चयनित या गैर चयनित है	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती संबंधी (क) आयु (ख)शैक्षणिक योग्यताएं (ग)अनुभव, पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगे ।	परिवीक्षा अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (यदि सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/ आमेलन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिससे भर्ती की जानी है ।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	उप यातायात प्रबंधक	01	प्रथम श्रेणी -I	24900-50500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.130003 50-18250/-)	चयनित	35	अनिवार्य:- (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से डिग्री । <b>वांछनीय</b> :- किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में शिपिंग/माल संचालन/रेलवे परिवहन में 9 वर्ष कार्यपालकीय अनुभव ।	(क) नहीं (ख)हाँ (ग) नहीं	लागू नहीं है	पदोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	अपने ग्रेड में 4 वर्ष नियमित सेवायुक्त 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.9110-15100/-) के वेतनमानवाले सहायक यातायात प्रबंधक ग्रे-I से, ऐसा न होने पर, यातायात विभाग के संबंधित विषय में रु.20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.9100-15100/-) के वेतनमानवाले ग्रेड में 2 वर्ष और रु. 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.9100-15100/-) व रु.16400-40500/- के वेतनमान में संयुक्त रूप से 8 वर्ष नियमित सेवायुक्त सहायक यातायात प्रबंधक ग्रेड - I से पदोन्नति । महा पत्तन न्यास में अनुरूपी पदधारी या अपने ग्रेड में 5 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु. 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.9100-15100/-) के वेतनमानवाले सहायक यातायात प्रबंधक ग्रेड - I पदधारी का आमेलन/प्रतिनियुक्ति किया जाएगा ।	

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (रु.)	क्या यह पद चयनित या गैर चयनित है	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती संबंधी (क) आयु (ख) शैक्षणिक योग्यताएं (ग) अनुभव, पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगे।	परिवीक्षा अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (यदि सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिससे भर्ती की जानी है।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	वरिष्ठ उप यातायात प्रबंधक	01	प्रथम श्रेणी -I	रु.32900-58000/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.16000-400-20800/-)	चयनित	42	अनिवार्य:- (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से डिग्री। <b>वांछनीय</b> :- किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में शिपिंग/माल संचालन/रेलवे परिवहन में 12 वर्ष कार्यपालकीय अनुभव।	(क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	मिश्रित पद्धति से आमेलन हेतु, महापत्तन न्यास में यातायात विभाग के संबंधित विषय में अनुरूप पदधारी या अपने ग्रेड में 3 वर्ष नियमित सेवायुक्त 24900-50500/- के वोटनमानवाले उप यातायात प्रबंधक और उसके समतुल्य अधिकारी या महापत्तन न्यास में यातायात विभाग के संबंधित विषय में अपने ग्रेड में 2 वर्ष नियमित सेवा तथा रु.20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.10750-16750/-) और रु. 24900-50500/- वेतनमान में संयुक्त रूप से 7 वर्ष नियमित सेवायुक्त सहायक यातायात प्रबंधक और उसके समतुल्य पात्र होंगे। प्रतिनियुक्ति हेतु, सरकारी/अर्ध सरकारी/सार्वजनिक उपक्रमों व स्वायत्तशासी निकायों में अनुरूपी पदधारी या यातायात विभाग के संबंधित विषय में अपने ग्रेड में 3 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु. 24900-50500/- या उससे अधिक वेतनमानवाले	जैसाकि इस पद को पहलीवार नए रूप से सृजित किया गया है अतः पूर्वापाय के रूप में इसे भरने हेतु भर्ती की कोई मिश्रित पद्धति नहीं अपनाई जाएगी। पहले पदोन्नति द्वारा इस पद को भरा जाएगा, बशर्तकि अभ्यर्थी भर्ती नियम को पूरा करता हो। (संदर्भ-पत्तन एवं गोदी अधिकारियों की संवर्ग पुनः संरचना, मार्च 2005 पर असंगति

											वरिष्ठ उप यातायात प्रबंधक या उसके समतुल्य पदधारी पात्र होंगे। चयन अर्हता के आधार पर होगा जिसके लिए एसीआर की समग्र ग्रेडिंग में बैचमार्क 'बहुत अच्छा' से नीचे नहीं होनी चाहिए।	समिति की रिपोर्ट 5 (क)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	------------------------

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (रु.)	क्या यह पद चयनित या गैर चयनित है	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती संबंधी (क) आयु (ख) शैक्षणिक योग्यताएं (ग) अनुभव, पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगे।	परिवीक्षा अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (यदि सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिससे भर्ती की जानी है।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	यातायात प्रबंधक	01	प्रथम श्रेणी (विभागाध्यक्ष)	रु.43200-66000/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.185004 50-23900/-)	चयनित	45	<b>अनिवार्य:-</b> (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से डिग्री। <b>वांछनीय :-</b> किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में कार्यपालक संवर्ग में शिपिंग/माल संचालन/रेलवे परिवहन में 15	(क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं	लागू नहीं है	पदोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	मिश्रित पद्धति से आमेलन हेतु, महापत्तन न्यास में यातायात विभाग के संबंधित विषय में अपने ग्रेड में 2 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु.36600-62000/- के वेतनमानवाले अनुरूपी पदधारी या महापत्तन न्यास में रु.32900-58000/- के वेतनमान में 3 वर्ष नियमित सेवायुक्त अधिकारी पात्र होंगे। प्रतिनियुक्ति हेतु, सरकारी/अर्ध सरकारी/सार्वजनिक उपक्रमों व स्वायत्तशासी निकायों में अनुरूपी पदधारी या यातायात विभाग के संबंधित विषय में अपने ग्रेड में 3 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु. 24900-50500/-या उससे अधिक वेतनमानवाले वरिष्ठ उप यातायात प्रबंधक या उसके	

							वर्ष का अनुभव ।				समतुल्य पदधारी पात्र होंगे । चयन अर्हता के आधार पर होगा जिसके लिए एसीआर की समग्र ग्रेडिंग में बेंचमार्क 'बहुत अच्छा' से नीचे नहीं होनी चाहिए ।	
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	---	--

### चिकित्सा विभाग, पारादीप पत्तन न्यास के अधीन प्रथम श्रेणी पदों के लिए भर्ती नियम

क्र सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (रु.)	क्या यह पद चयनित या गैर चयनित है	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती संबंधी क) आयु ख)शैक्षणिक योग्यताएं ग)अनुभव, पदोन्नति/आमेलन/ प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगे ।	परिवीक्षा अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (यदि सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/आमेलन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिससे भर्ती की जानी है ।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	चिकित्सा अधिकारी	05	श्रेणी -I	2060-4650/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.9110-250-15100/-)	लागू नहीं है	35	<b>अनिवार्य:-</b> (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एमबीबीएस डिग्री या चिकित्सा अधिकारी(दंत) हेतु, मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बीडीएस डिग्री । (ii) एक वर्ष इंटर्नशिप की समाप्ति के पश्चात्	(i) लागू नहीं है	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा ।	लागू नहीं है	

							अस्पताल में एक वर्ष का अनुभव । वांछनीय :- किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर मेडिकल डिग्री ।					
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

क्र सं	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (रु.)	क्या यह पद चयनित या गैर चयनित है	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती संबंधी (क) आयु (ख)शैक्षणिक योग्यताएं (ग)अनुभव, पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगे ।	परिवीक्षा अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (यदि सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिससे भर्ती की जानी है ।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (जनरल ड्यूटी)	05	श्रेणी -I	20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.9110-250-15100/-	लागू नहीं है	40	अनिवार्य:- (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एमबीबीएस डिग्री या चिकित्सा अधिकारी(दंत) हेतु, मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बीडीएस डिग्री ।	(क) नहीं (ख)हाँ (ग) नहीं	लागू नहीं है	पदोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	अपने ग्रेड में 5 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु. 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.9110-250-15100/-) वेतनमान वाले चिकित्सा अधिकारी से पदोन्नति ।  महा पत्तन न्यास में अपने ग्रेड में 5 वर्ष अनुभवयुक्त अनुरूपी पदधारी या संवर्ग पदधारी अधिकारी से	

							(i) एक वर्ष इंटरशिप की समाप्ति के पश्चात् अस्पताल में एक वर्ष का अनुभव । <b>वांछनीय :-</b> किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर मेडिकल डिग्री ।				आमेलन/प्रतिनियुक्ति की जाएगी ।	
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--------------------------------	--

क्र सं	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (रु.)	क्या यह पद चयनित या गैर चयनित है	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती संबंधी (क) आयु (ख)शैक्षणिक योग्यताएं (ग)अनुभव, पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगे ।	परिवीक्षा अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (यदि सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिससे भर्ती की जानी है ।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (विशेषज्ञ)	08	श्रेणी -I	24900-50500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.1350-350-	लागू नहीं है	42	<b>अनिवार्य:-</b> (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एमबीबीएस डिग्री । (ii) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से	(क) नहीं (ख)हाँ (ग) नहीं	लागू नहीं है	पदोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न होने पर सीधी	अपने ग्रेड में 4 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु. 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.10750-16750/-) वेतनमान वाले वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी से पदोन्नति । ऐसा न होने पर वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (जी.डी) जिनके पास उस	असंगति समिति की रिपोर्ट 5(वी) के अनुसार जहाँ 5 से अधिक विशेषज्ञ हैं वहाँ औषधि, चिकित्सा, स्त्रीरोग,वालचिकित्सा

				18250/-			विशिष्ट विशेषज्ञता में स्नातोकोत्तर मेडिकल डिग्री । <b>वांछनीय :-</b> (iii) विशेषज्ञता वाले क्षेत्र में विख्यात चिकित्सालय में 7 वर्षों का योग्योत्तोर अनुभव ।			भर्ती द्वारा ।	क्षेत्र में स्नातोकोत्तर अर्हता है और उस ग्रेड में 4 वर्ष की नियमित सेवा की हो । महा पत्तन न्यास में सादृश्य पदधारी अथवा रु. 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.10750-16750/-) वेतनमान और उसी ग्रेड में 4 वर्ष नियमित सेवायुक्त वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (विशेषज्ञ) से आमेलन/प्रतिनियुक्ति की जाएगी ।	और विकलांग विज्ञान विधा में प्रत्येक 01 विशेषज्ञ होना चाहिए । यदि विशेषज्ञों की संख्या 5 से कम है तो इन विधाओं में से किसी भी विधा से विशेषज्ञ बनाया जाएगा । तदनुसार पत्तन द्वारा प्रत्येक विधा में विशेषज्ञों की संख्या पर निर्णय लिया जाएगा ।
--	--	--	--	---------	--	--	---	--	--	----------------	--	---

क्र सं	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (रु.)	क्या यह पद चयनित या गैर चयनित है	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती संबंधी (क) आयु (ख)शैक्षणिक योग्यताएं (ग)अनुभव, पदोन्नति/आमेलन/ प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगे ।	परिवीक्षा अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (यदि सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/ आमेलन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिससे भर्ती की जानी है ।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	वरिष्ठ उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी	02	श्रेणी -I	रु.329 00-58000 /- (पूर्व संशोधित	चयनित	45	<b>अनिवार्य:-</b> (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एमबीबीएस डिग्री । (ii) किसी	(क) नहीं (ख)हाँ (ग) नहीं	लागू नहीं है	पदोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर आमेलन/प्रतिनि युक्ति द्वारा, दोनों के न होने पर सीधी भर्ती	मिश्रित पद्धति से आमेलन हेतु, महा पत्तन न्यास में चिकित्सा विभाग के संबंधित विषय में अनुरूप पदधारी या अपने ग्रेड में 3 वर्ष नियमित सेवायुक्त 24900-50500/- के वेतनमानवाले उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (विशेषज्ञ) और उसके	जैसाकि इस पद को पहलीवार नए रूप से सृजित किया गया है अतः पूर्वापाय के रूप में इसे भरने हेतु भर्ती

				वेतनमान रु.160 00- 400- 20800 /-			मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर मेडिकल डिग्री। (iii) विशेषज्ञता से संबंधित क्षेत्र में अस्पताल में 10 वर्ष का अर्हता पश्चात् अनुभव।			द्वारा। समतुल्य विशेषज्ञ पदों या महा पत्तन न्यास में चिकित्सा विभाग के विशेषज्ञ वर्ग में अपने ग्रेड में 2 वर्ष नियमित सेवा तथा रु.20600-46500/-(पूर्व संशोधित वेतनमान रु.10750-16750/-) और रु. 24900-50500/- वेतनमान में संयुक्त रूप से 7 वर्ष नियमित सेवायुक्त उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (विशेषज्ञ) और उसके समतुल्य विशेषज्ञ पद पात्र होंगे। प्रतिनियुक्ति हेतु, सरकारी/अर्ध सरकारी/सार्वजनिक उपक्रमों व स्वायत्तशासी निकायों में अनुरूपी पदधारी या चिकित्सा विभाग के संबंधित विषय में अपने ग्रेड में 3 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु. 24900-50500/-या उससे अधिक वेतनमानवाले उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी या उसके समतुल्य विशेषज्ञ पदधारी पात्र होंगे। चयन अर्हता के आधार पर होगा जिसके लिए एसीआर की समग्र ग्रेडिंग में बेंचमार्क 'बहुत अच्छा' से नीचे नहीं होनी चाहिए।	की कोई मिश्रित पद्धति नहीं अपनाई जाएगी। पहले पदोन्नति द्वारा इस पद को भरा जाएगा, बशर्तकि अभ्यर्थी भर्ती नियम को पूरा करता हो। (संदर्भ-पत्तन एवं गोदी अधिकारियों की संवर्ग पुनः संरचना, मार्च 2005 पर असंगति समिति की रिपोर्ट 5 (क)
--	--	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

क्र सं	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (रु.)	क्या यह पद चयनित या गैर चयनित है	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती संबंधी (क) आयु (ख)शैक्षणिक योग्यताएं (ग)अनुभव, पदोन्नति/आमेलन/ प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगे।	परिवीक्षा अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (यदि सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/ आमेलन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिससे भर्ती की जानी है।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	मुख्य चिकित्सा		श्रेणी -I	रु.43200-66000/-	चयनित	50	अनिवार्य:- (i) मान्यताप्राप्त	(क) नहीं	लागू नहीं है	पदोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर	मिश्रित पद्धति से आमेलन हेतु, महा पत्तन न्यास में अनुरूपी पदधारी अधिकारी या अपने	

अधिकारी (वर्ग- II पद)			(पूर्व संशोधित वेतनमान रु.18500- 450- 23900/-			विश्वविद्यालय से एमबीबीएस डिग्री । (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री । (iii) विशेषज्ञता से संबंधित क्षेत्र में अस्पताल में 13 वर्ष का अर्हता पश्चात् अनुभव ।	(ख)हाँ  (ग) नहीं		आमेलन/प्रतिनि युक्ति द्वारा, दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	ग्रेड में 2 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु.36000- 62000/- वेतनमानवाले अधिकारी या चिकित्सा विभाग में अपने ग्रेड में 3 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु.32900-58000/- वेतनमानवाले पदधारी अधिकारी पात्र होंगे । प्रतिनियुक्ति हेतु, सरकारी/अर्ध सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र या स्वायत्त निकाय में चिकित्सा विभाग में अनुरूपी पदधारी अधिकारी या अपने ग्रेड में 3 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु.32900-58000/- और उससे अधिक वेतनमानवाले वरिष्ठ उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी और उसके समतुल्य विशेषज्ञ पदधारी पात्र होंगे । चयन अर्हता आधारित होगा जिसके लिए एसीआर में समग्र ग्रेडिंग की बैंचमार्क 'बहुत अच्छा' से नीचे नहीं होनी चाहिए ।
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	---	---

### सिविल अभियांत्रिकी विभाग, पारादीप पत्तन न्यास के अधीन प्रथम श्रेणी पदों के लिए भर्ती नियम

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (रु.)	क्या यह पद चयनित या गैर चयनित है	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती संबंधी क) आयु ख)शैक्षणिक योग्यताएं ग)अनुभव, पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगे ।	परिवीक्षा अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (यदि सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिससे भर्ती की जानी है ।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	सहायक कार्यपालक अभियंता (सिविल)	14	श्रेणी -I	20600- 46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.9110- 250- 15100/-)	लागू नहीं है	30	<b>अनिवार्य:-</b> मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री या समतुल्य ।  <b>वांछनीय :-</b> औद्योगिक/वाणि ज्यिक/सरकारी उपक्रम में विशेषकर पत्तन तथा समुद्री संरचनाओं की योजना/निर्माण/डि जाइन/अनुरक्षण का कार्यकारी संवर्ग में 2 वर्षों का अनुभव ।	(क)नहीं  (ख)नहीं, लेकिन मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में सिविल इंजिनियरी में डिप्लोमा जरूरी है ।  (ग) नहीं ।	2 वर्ष	21 अगस्त 2012 तक सीधी भर्ती द्वारा - 33.1/3% पदोन्नति द्वारा- 66.2/3% 21 अगस्त 2012 के बाद सीधी भर्ती द्वारा-66.2/3% पदोन्नति द्वारा- 33.1/3%	अपने ग्रेड में 3 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु.16400-40500/- वेतनमानवाले सहायक अभियंता (सिविल) तथा अभियांत्रिक विभाग के अन्य गैर-वर्ग पदों से पदोन्नति । या अभियांत्रिक विभाग की संबंधित विधा में जहाँ उस विधा में रु.16400-40500/- के वेतनमान में कोई श्रेणी- II पद नहीं है तब रु.13600-32400/- वेतनमानवाले और उस ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवायुक्त श्रेणी- III कर्मचारियों से पदोन्नति ।
---	--	----	-----------	---	-----------------	----	--	---	--------	--	---

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (रु.)	क्या यह पद चयनित या गैर चयनित है	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती संबंधी (क) आयु (ख)शैक्षणिक योग्यताएं (ग)अनुभव, पदोन्नति/आमेलन/प्र	परिवीक्षा अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (यदि सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/आमेलन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिससे भर्ती की जानी है ।	टिप्पणी
----------	-----------	----------------	----------	----------------	----------------------------------	--	---	---	-----------------------------	--	---	---------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	सहायक कार्यपालक अभियंता (नगर योजना)	01	श्रेणी -I	20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.9110-250-15100/-)	चयनित	30	अनिवार्य:- किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री ।  वांछनीय :- किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में नगर योजना/संपदा प्रबंधन/मूल्यांकन में दो वर्ष की कार्यपालकीय अनुभव	(क)नहीं (ख)नहीं, लेकिन मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में डिप्लोमा जरूरी है ।  (ग) नहीं ।	2 वर्ष	21 अगस्त 2012 तक सीधी भर्ती द्वारा - 33.1/3% पदोन्नति द्वारा- 66.2/3% 21 अगस्त 2012 के बाद सीधी भर्ती द्वारा- 66.2/3% पदोन्नति द्वारा- 33.1/3%	अपने ग्रेड में 3 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु.16400-40500/- वेतनमानवाले सहायक अभियंता (सिविल) तथा अभियांत्रिक विभाग के अन्य गैर-वर्ग से पदोन्नति । या अभियांत्रिक विभाग की संबंधित विधा में जहाँ उस विधा में रु.16400-40500/- के वेतनमान में कोई श्रेणी-II पद नहीं है तब रु.13600-32400/- वेतनमानवाले और उस ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवायुक्त श्रेणी- III कर्मचारियों से पदोन्नति ।	

क्र सं	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (रु.)	क्या यह पद चयनित या गैर चयनित है	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती संबंधी (क) आयु (ख)शैक्षणिक योग्यताएं (ग)अनुभव, पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगे ।	परिवीक्षा अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (यदि सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिससे भर्ती की जानी है ।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	कार्यपालक अभियंता (सिविल)	01	श्रेणी -I	20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.10750-300-16750/-)	चयनित	35	अनिवार्य:- (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री या समतुल्य । (ii) किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक	(क)नहीं (ख)नहीं, फिरभी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा जरूरी है ।	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	अपने ग्रेड में 5 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु. 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.9100-15100/-) वेतनमानवाले सहायक कार्यपालक अभियंता (सिविल) से पदोन्नति, ऐसा न होने पर सिविल इंजीनियरी विभाग के संबंधित विधा में अपने ग्रेड में सेवायुक्त रु. 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.9100-15100/-)	

							क/सरकारी उपक्रम में प्रमुखतः पत्तन व समुद्रीय ढांचों की प्लानिंग/निर्माण/डिसाइन/अनुरक्षण में कार्यपालकीय संवर्ग में नौ वर्ष का अनुभव ।	(ग) नहीं ।			वेतनमान में 2 वर्ष और रु.20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.9100-15100/-) एवं रु. 16400-40500/- वेतनमानों में संयुक्त रूप में 8 वर्ष नियमित सेवायुक्त सहायक कार्यपालक अभियंता (सि)से पदोन्नति । महा पत्तन न्यास में ऊपर बताने के अनुसार अनुभवयुक्त अनुरूपी पदधारी अधिकारी या संवर्ग पदधारी अधिकारी से आमेलन/प्रतिनियुक्ति की जाएगी ।
--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (रु.)	क्या यह पद चयनित या गैर चयनित है	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती संबंधी (क) आयु (ख)शैक्षणिक योग्यताएं (ग)अनुभव, पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगे ।	परिवीक्षा अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (यदि सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिससे भर्ती की जानी है ।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	अधीक्षण अभियंता (सिविल)	09	श्रेणी -I	रु.24900-50500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.13000 18250/-)	चयनित	40	अनिवार्य:- (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री या समतुल्य । (ii) किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में प्रमुखतः पत्तन व	(क)नहीं (ख)नहीं, फिरभी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थानसे सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा जरूरी है । (ग) नहीं ।	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	अपने ग्रेड में 4 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु. 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.10750-16750/-) वेतनमानवाले कार्यपालक अभियंता (सिविल) से पदोन्नति, ऐसा न होने पर सिविल इंजीनियरी विभाग के संबंधित विधा में अपने ग्रेड में सेवायुक्त रु. 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.10750-16750/-)	

							समुद्रीय ढांचों की प्लानिंग/निर्माण/डिसाइन/अनुरक्षण में कार्यपालकीय संवर्ग में नौ वर्ष का अनुभव ।				वेतनमान में 2 वर्ष और रु.20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 10750-16750/-) एवं रु. 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.9100-15100/-) वेतनमानों में संयुक्त रूप में 9 वर्ष नियमित सेवायुक्त सहायक कार्यपालक अभियंता से पदोन्नति । महा पत्तन न्यस में ऊपर बताने के अनुसार अनुभवयुक्त अनुरूपी पदधारी अधिकारी या संवर्ग पदधारी अधिकारी से आमेलन/प्रतिनियुक्ति की जाएगी ।
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	---

क्र सं	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (रु.)	क्या यह पद चयनित या गैर चयनित है	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती संबंधी (क) आयु (ख)शैक्षणिक योग्यताएं (ग)अनुभव, पदोन्नति/आमेलन/ प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगे ।	परिवीक्षा अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (यदि सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/ आमेलन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिससे भर्ती की जानी है ।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	उप मुख्य अभियंता (सिविल)	01	श्रेणी -I	रु.32900-58000/- (पूर्व	चयनित	42	अनिवार्य:- (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/	(क)नहीं (ख)नहीं	2 वर्ष	मिश्रित पद्धति के माध्यम से आमेलन द्वारा,	मिश्रित पद्धति से आमेलन हेतु, महा पत्तन न्यास में अनुरूपी पदधारी अधिकारी या सिविल इंजीनियरी विभाग	जैसाकि इस पद को पहलीवार नए रूप से सृजित

				संशोधित वेतनमान रु.16000- 400- 20800/-)			संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री या समतुल्य ।  (ii) किसी औद्योगिक/वा णिज्यिक/सरका री उपक्रम में प्रमुखतः पत्तन व समुद्रीय ढांचों की प्लानिंग/निर्माण /डिसाइन/अनुरक्ष ण में कार्यपालकीय संवर्ग में बारह वर्ष का अनुभव ।	(ग) नहीं ।		ऐसा न होने पर अन्य सरकारी संगठनों से प्रतिनियुक्ति द्वारा, और दोनों तरीकों से न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	के संबंधित विषय में अपने ग्रेड में 3 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु.24900-50500/- वेतनमानवाले अधीक्षक अभियंता और उसके समतुल्य पदधारी अधिकारी या सिविल इंजीनियरिंग विभाग के संबंधित विषय में अपने ग्रेड में 2 वर्ष नियमित सेवायुक्त और रु.20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.10750-16750/-) और रु.24900-50500/- वेतनमानों में संयुक्त रूप में 7 वर्ष नियमित सेवायुक्त अधीक्षक अभियंता और उसके समतुल्य पदधारी अधिकारी पात्र होंगे । प्रतिनियुक्ति हेतु, प सरकारी/अर्ध सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या स्वायत्तशासी निकायों में सिविल इंजीनियरिंग विभाग के संबंधित विषय में अनुरूपी पदधारी अधिकारी या अपने ग्रेड में 3 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु.32900- 58500/- वेतनमानवाले अधीक्षक अभियंता व उसके समतुल्य अधिकारी पात्र होंगे । चयन अर्हता के आधार पर होगा जिसके लिए एसीआर में समय ग्रेडिंग की बेंचमार्क 'बहुत अच्छा' से नीचे नहीं होनी चाहिए ।	किया गया है अतः पूर्वपाय के रूप में इसे भरने हेतु भर्ती की कोई मिश्रित पद्धति नहीं अपनाई जाएगी । पहले पदोन्नति द्वारा इस पद को भरा जाएगा , बशर्तकि अभ्यर्थी भर्ती नियम को पूरा करता हो । (संदर्भ-पत्तन एवं गोदी अधिकारियों की संवर्ग पुनः संरचना, मार्च 2005 पर असंगति समिति की रिपोर्ट 5 (क)
--	--	--	--	---	--	--	--	------------	--	---	--	---

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (रु.)	क्या यह पद चयनित या गैर चयनित है	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती संबंधी (क) आयु (ख)शैक्षणिक योग्यताएं (ग)अनुभव, पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगे ।	परिवीक्षा अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (यदि सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिससे भर्ती की जानी है ।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	मुख्य अभियंता	01	श्रेणी -I (विभागाध्यक्ष)	रु.432006 6000/- (पूर्व	चयनित	45	अनिवार्य:- (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था	(क)नहीं  (ख)नहीं	2 वर्ष	मिश्रित पद्धति के माध्यम से आमेलन द्वारा, ऐसा न होने	मिश्रित पद्धति से आमेलन हेतु, महा पत्तन न्यास में सिविल इंजीनियरी विभाग में अनुरूपी	

				संशोधित वेतनमान रु.18500- 450- 23900/-)			न से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री या समतुल्य ।  (ii) किसी औद्योगिक/वाणिज्य क/सरकारी उपक्रम में प्रमुखतः पत्तन व समुद्रीय ढांचों की प्लानिंग/निर्माण/डिसा इन/अनुरक्षण में कार्यपालकीय संवर्ग में पन्द्रह वर्ष का अनुभव ।	(ग) नहीं ।		पर अन्य सरकारी संगठनों से प्रतिनियुक्ति द्वारा, और दोनों तरीकों से न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	पदधारी अधिकारी या अपने ग्रेड में 2 वर्ष नियमित सेवayुक्त रु.36600-62000/- वेतनमानवाले पदधारी अधिकारी या अपने ग्रेड में 3 वर्ष नियमित सेवayुक्त रु.32900-58000/- पदधारी अधिकारी पात्र होंगे ।  प्रतिनियुक्ति हेतु, सरकारी/अर्ध सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या स्वायत्तशासी निकायों में सिविल इंजीनियरिंग विभाग के संबंधित विषय में अनुरूपी पदधारी अधिकारी या अपने ग्रेड में 3 वर्ष नियमित सेवayुक्त रु.32900-58500/- वेतनमानवाले अधीक्षक अभियंता व उसके समतुल्य अधिकारी पात्र होंगे । चयन अर्हता के आधार पर होगा जिसके लिए एसीआर में समग्र ग्रेडिंग की बेंचमार्क 'बहुत अच्छा' से नीचे नहीं होनी चाहिए ।
--	--	--	--	---	--	--	--	------------	--	---	---

### सतर्कता स्कंध, पारादीप पत्तन न्यास के अधीन प्रथम श्रेणी पदों के लिए भर्ती नियम

क्र.सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (रु.)	क्या यह पद चयनित या गैर चयनित है	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती संबंधी (क) आयु (ख)शैक्षणिक योगताएं (ग) अनुभव, पदोन्नति/आमेल	परिवीक्षा अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (यदि सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/आमेलन	पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिससे भर्ती की जानी है ।	टिप्पणी
---------	-----------	----------------	----------	----------------	----------------------------------	------------------------------	---	---	-----------------------------	---	---	---------

						सीमा (वर्षों में)		न/ प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगे ।		/प्रतिनियुक्ति द्वारा)		
1	उप मुख्य सतर्कता अधिकारी	01	प्रथम श्रेणी	रु.24900- 50500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.13000- 350- 18250/-)	चयनित	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	02	महा पत्तन न्यासों से प्रतिनियुक्ति द्वारा ।	महा पत्तन न्यासों/केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/अर्ध सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या स्वायत्त शासी निकायों में अनुरूपी पदधारी अधिकारी अथवा अपने ग्रेड में 4 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु 10750-16750/-) वेतनमानवाले अधिकारी, ऐसा न होने पर, रु 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु 10750-16750/-) और रु 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु 9100-15100) वेतनमानों में संयुक्त रूप में 9 वर्ष नियमित सेवायुक्त अधिकारी । सतर्कता कार्य में अनुभव रखनेवालों को वरीयता दी जाएगी ।	साधारणतः प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्ष होगी, और किसी भी हालत में 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।
2	मुख्य सतर्कता अधिकारी	01	प्रथम श्रेणी (विभागा ध्यक्ष)	रु.43200- 66000/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.18500- 23900/-)	चयनित	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	02	अखिल भारत/केन्द्रीय सेवा के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति द्वारा ।	भारत सरकार के उप सचिव/निदेशक स्तर के अधिकारी जो नियुक्ति हेतु पात्र हैं ।	साधारणतः प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्ष होगी, और किसी भी हालत में 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

**समुद्री विभाग, पारादीप पत्तन न्यास के अधीन प्रथम श्रेणी पदों के लिए भर्ती नियम**

क्र	पद का	पदों	वर्गीकरण	वेतन मान	क्या	सीधी भर्ती के	सीधी भर्ती के लिए	क्या सीधी भर्ती	परिवीक्षा	भर्ती का तरीका	पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती	टिप्पणी
-----	-------	------	----------	----------	------	---------------	-------------------	-----------------	-----------	----------------	---	---------

सं	नाम	की संख्या		(रु.)	यह पद चयनित या गैर चयनित है	लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	संबंधी क) आयु ख)शैक्षणिक योग्यताएं ग)अनुभव, पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगे ।	अवधि (वर्षों में)	(यदि सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/आमेलन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	के मामले में ग्रेड जिससे भर्ती की जानी है ।	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	उप संरक्षक (वर्ग- I I पद)	01	श्रेणी -I (विभागाध्यक्ष)	रु.43200-66000/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.18500-450-23900/-)	चयनित	48	<p><b>अनिवार्य:-</b> (i) भारत सरकारी के पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी विदेशगामी जहाज के मास्टर के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्रधारी या भारत सरकार के पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा मान्यताप्राप्त उसके समतुल्य अर्हता ।</p> <p>(ii) पाइलट लाइसेन्स होनी चाहिए और विदेशगामी जहाज के मास्टर के रूप में या पाइलटिंग या संचयी के रूप में 08 वर्ष का अनुभव ।</p>	(क)नहीं (ख)नहीं (ग) नहीं ।	लागू नहीं है	मिश्रित पद्धति से आमेदन द्वारा, ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, और दोनों तरीकों से न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	मिश्रित पद्धति से आमेदन हेतु, महा पलतन में अनुरूपी पदधारी अधिकारी या अपने ग्रेड में 2 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु.36600-62000/- वेतनमानवाले हार्वर मास्टर पद पर कार्यरत अधिकारी पात्र होंगे । प्रतिनियुक्ति हेतु, सरकारी/अर्ध सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या स्वायत्तशासी निकायों में अनुरूपी पदधारी अधिकारी या अपने ग्रेड में 2 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु.36600-62000/- और उससे अधिक वेतनमान के हार्वर मास्टर और उसके समतुल्य डेक वर्ग के पद पर कार्यरत अधिकारी । चयन योग्यता के आधार पर होगा जिसके लिए एसीआर में समग्र ग्रेडिंग की बेंचमार्क 'बहुत अच्छा' से नीचे नहीं होनी चाहिए ।	

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (रु.)	क्या यह पद चयनित या गैर चयनित है	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती संबंधी (क) आयु (ख) शैक्षणिक योग्यताएं (ग) अनुभव, पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगे।	परिवीक्षा अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (यदि सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिससे भर्ती की जानी है।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	हार्वर मास्टर	01	श्रेणी -I	रु.36600-62000/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.17500-400-22300/-)	चयनित	45	<p>अनिवार्य:- (i) भारत सरकारी के पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी विदेशगामी जहाज के मास्टर के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्रधारी या भारत सरकार के पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा मान्यताप्राप्त उसके समतुल्य अर्हता।</p> <p>(ii) पाइलट लाइसेन्स होनी चाहिए और विदेशगामी जहाज के मास्टर के रूप में या पाइलटिंग या संचयी के रूप में 08 वर्ष का अनुभव।</p>	(क) नहीं (ख) नहीं (ग) नहीं।	2 वर्ष	मिश्रित पद्धति के माध्यम से आमेलन द्वारा, ऐसा न होने पर अन्य सरकारी संगठनों से प्रतिनियुक्ति द्वारा, और दोनों तरीकों से न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	मिश्रित पद्धति से आमेलन हेतु, महापत्तन में अनुरूपी पदधारी अधिकारी या अपने ग्रेड में 5 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु.32900-58000/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु 14500-18700 जिसे रु16000-22300/- तक उन्नत किया गया) और अधिक वेतनमानवाले पायलट पद पर कार्यरत अधिकारी पात्र होंगे। प्रतिनियुक्ति हेतु, सरकारी/अर्ध सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या स्वायत्तशासी निकायों में उपर्युक्त अनुभव प्राप्त अनुरूपी पदधारी अधिकारी या पायलट और उसके समतुल्य डेक वर्ग के पद पर कार्यरत अधिकारी पात्र होंगे। चयन योग्यता के आधार पर होगा जिसके लिए एसीआर में समग्र ग्रेडिंग की बेंचमार्क 'बहुत अच्छा' से नीचे नहीं होनी चाहिए।	

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (रु.)	क्या यह पद चयनित या गैर चयनित है	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती संबंधी (क) आयु (ख) शैक्षणिक योग्यताएं (ग) अनुभव, पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगे।	परिवीक्षा अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (यदि सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिससे भर्ती की जानी है।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	पायलट	06	प्रथम श्रेणी	रु.32900 - 58000/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.14500-350-18700/-	लागू नहीं है	40	अनिवार्य:- (i) भारत सरकारी के पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी विदेशगामी जहाज के मास्टर के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्रधारी या भारत सरकार के पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा मान्यताप्राप्त उसके समतुल्य अर्हता।  (ii) विदेशगामी जहाज में मास्टर/मुख्य अधिकारी के रूप में एक वर्ष का अर्हता पश्चात् अनुभव।	लागू नहीं है	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं है	पत्तन एवं गोदी अधिकारियों की संवर्ग संरचना पर असंगति समिति, 2005 की रिपोर्ट 5(ख) में की गई सिफारिश के अनुसार रु.14500-18700/- वेतनमान पर कार्यरत अधिकारियों के वेतन स्वतः पूर्ण रूप से 16000-20800/- (संशोधित वेतनमान रु.32900-58000/-) तक बढ़ जाएगा। अतः 6 पायलटों के वेतनमानों को रु.32900-58000/-



क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (रु.)	क्या यह पद चयनित या गैर चयनित है	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती संबंधी (क) आयु (ख)शैक्षणिक योग्यताएं (ग)अनुभव, पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगे ।	परिवीक्षा अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (यदि सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिससे भर्ती की जानी है ।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	वरिष्ठ उप समुद्री अभियंता	1	प्रथम श्रेणी	रु.24900 - 50500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.13000 -350- 18250/-	चयनित	40 वर्ष से अधिक नहीं	(i) मर्चेंट शिपिंग अधिनियम,1958 के अधीन जारी एमओटी - श्रेणी मोटर प्रमाणपत्र । (ii) किसी विदेशगामी जहाज में स्वतंत्र रूप से बोर्ड पर वाच कीपिंग इंजीनियर के रूप में 2 वर्ष का अनुभव ।	क)नहीं ख)हाँ ग)नहीं	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों तरीकों से न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	अपने ग्रेड में 4 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु. .20600-465000/--(पूर्व संशोधित वेतनमान रु.10750-16750/-) वेतनमानवाले उप समुद्री अभियंता पद से पदोन्नति । महा पत्तन न्यास में अनुरूपी पदधारी अधिकारी या अपने ग्रेड में रु. .20600-465000/--(पूर्व संशोधित वेतनमान रु.10750-300-16750/-) वेतनमान में 4 वर्ष नियमित सेवायुक्त उप समुद्री अभियंता पद पर कार्यरत अधिकारियों में से आमेलन/प्रतिनियुक्ति की जाएगी ।	

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (रु.)	क्या यह पद चयनित या गैर चयनित है	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती संबंधी (क) आयु (ख)शैक्षणिक योग्यताएं (ग)अनुभव, पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगे ।	परिवीक्षा अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (यदि सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिससे भर्ती की जानी है ।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	समुद्री अभियंता	01	प्रथम श्रेणी	रु.32900-58000/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.14500-350-18700/-)	लागू नहीं है	40वर्ष	अनिवार्य:- (i) मर्चेट शिपिंग अधिनियम 1958 के तहत जारी एमओटी I श्रेणी मोटर प्रमाण-पत्र ।  (ii) विदेशगामी जहाज के बोर्ड पर मुख्य अभियंता/दूसरे इंजीनियर के रूप में एक वर्ष का अर्हता पश्चात अनुभव ।	लागू नहीं है	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं है	पत्तन एवं गोदी अधिकारियों की संवर्ग संरचना पर असंगति समिति, 2005 की रिपोर्ट 5(ख) में की गई सिफारिश के अनुसार रु.14500-18700/- वेतनमान पर कार्यरत अधिकारियों के वेतन स्वतःपूर्ण रूप से 16000-20800/- (संशोधित वेतनमान रु.32900-58000/-) तक बढ़ जाएगा । अतः मौजूदा टग अभियंता के पद को वरिष्ठ समुद्री अभियंता के पद पर उन्नत किया जाएगा ।

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (रु.)	क्या यह पद चयनित या गैर चयनित है	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती संबंधी (क) आयु (ख) शैक्षणिक योग्यताएं (ग) अनुभव, पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगे।	परिवीक्षा अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (यदि सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिससे भर्ती की जानी है।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	वरिष्ठ समुद्री अभियंता	1	प्रथम श्रेणी	रु.32900-58000 /-(पूर्व संशोधित वेतनमान रु.16000-400-20800 /-)	लागू नहीं है	44	अनिवार्य:- (i) मर्चेट शिपिंग अधिनियम 1958 के तहत जारी एमओटी I श्रेणी मोटर प्रमाणपत्र।  (ii) विदेशगामी जहाज के बोर्ड पर मुख्य अभियंता/दूसरे इंजीनियर के रूप में संयुक्त रूप से पांच वर्ष का अनुभव।	क) नहीं ख) हाँ ग) नहीं	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों तरीकों से न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	अपने ग्रेड में 4 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु.32900-58000/- वेतनमानवाले समुद्री अभियंता पद से पदोन्नति। मिश्रित पद्धति से आमेलन हेतु, महा पत्तन न्यास में अनुरूपी पदधारी अधिकारी या अपने ग्रेड में 4 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु.32900-58000/- वेतनमानवाले समुद्री अभियंता में से आमेलन किया जाएगा। प्रतिनियुक्ति हेतु, सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकायों में अनुरूपी पदधारी अधिकारी या अपने ग्रेड में 4 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु.32900-58000/- वेतनमानवाले समुद्री अभियंता और समुद्री इंजीनियर वर्ग के उसके समतुल्य अधिकारी पात्र होंगे। चयन योग्यता के आधार पर होगा	

												जिसके लिए एसीआर में समग्र ग्रेडिंग की बेंचमार्क <b>बहुत अच्छा</b> से नीचे नहीं होनी चाहिए ।	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--